सम्पादक
डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु. गुफ़रान नदवी
मु. हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
: 0522–2741221
E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु0 12/-
वार्षिक	रु0 120/-
विशेष वार्षिक	रु0 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यूएस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन के द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

सितम्बर, 2010 वर्ष 09 अंक 7

इक दिन सब को जाना है

रहा न रुस्तम रहा न दारा
मौत ने आख़िर सब को मारा

दुन्या है दो दिन की यारो
जीवन है इक बहती धारा

सोच जरा इस जग में पगले
क्या है हमारा क्या है तुम्हारा

पल दो पल के सब हैं साथी
पल दो पल का खेल है सारा

झूटे हैं सब रिश्ते नाते
यह दिल को समझाना है

हम परदेसी तुम परदेसी
इक दिन सब को जाना है

नाज़ा जमशेदपूरी

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

Visoin Computers- 9451064588, 9026043858

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 मु0 मंजूर नोमानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
मुशतरक खानदान में पर्दा	डॉ0 हारून रशीद सिद्दकी	5
इदुल फित्र के रोज	इदारा	7
जग नायक	हजरत मौ0 स0 म0 राबे हसनी	8
मुस्लिम समाज	हजरत मौ0 मुहम्मद हसनी नदवी	11
हम कैसे पढ़ायें	डॉ0 सलामत उल्लाह	14
आप के प्रश्नों के उत्तर	मुफ्ती ज़फर आलम नदवी	20
अमजदी बेगम	डॉ0 आबिदा समीउद्दीन	23
ग़ैर मुस्लिम बनाम मुस्लिम क़ौम	इदारा	29
मुसलमानों की नाजुक जिम्मेदारी	माखूज़	29
खवातीने इस्लाम	मौ0 अब्दुर्रहमान नगरामी	30
ईद मनाने का अधिकार केवल	नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी	34
भारत का संक्षिप्त इतिहास	इदारा	35
हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण	इदारा	38
अतंर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ	40

कुरआन की शिक्षा

मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सुरतुल बक़रह

अनुवाद : और खुश खबरी है उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किये कि उन के वास्ते बाग हैं कि बहती हैं उन के नीचे नहरें, जब मिलेगा उन को वहाँ का कोई फल खाने को तो कहेंगे यह वही है जो मिला था हम को इस से पहले, और दिये जाएंगे उन को फल एक जैसे[1] और उन के लिये वहाँ होंगी औरतें पाकीजा और वह वहीं हमेशा रहेंगे[2](25) बेशक अल्लाह शर्माता नहीं इस बात से कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज की जो उस से बढ़ कर है।[3] जो लोग मोमिन है वह जानते कि यह मिसाल ठीक है जो नाजिल हुई है रब की तरफ से और जो काफिर हैं, सो कहते हैं, क्या मतलब था अल्लाह का इस मिसाल से, गुमराह करता है खुदाए तआला इस मिसाल से बहुतेरों को[4] और गुमराह नहीं करता इस मिसाल से मगर बद कारों को (26) जो तोड़ते हैं खुदा के मुआहदे को मजबूत करने के बाद और कतअ करते हैं (काटते हैं) उस चीज को जिस को अल्लाह ने फरमाया मिलाने[5] को और फसाद करते हैं मुल्क में[6] वही है टूटे दिल वाले[7](27)

तफसीर :

1— जन्नत के मेवे दुन्या के मेवों से शक्ल व सूरत में मिलते जुलते होंगे मगर लज्जत में जमीन व आसमान का फर्क होगा या जन्नत के मेवे बाहम एक शक्ल व सूरत के होंगे और मजा जुदा—जुदा तो जब किसी मेवे को देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो वही किस्म है जो पहले दुन्या में या जन्नत में खा चुके है और चखेंगे तो मजा और ही पाएंगे।

2— जन्नत की औरतें नजासाते जाहिरा व बातिना (खुले छुपे विकृत स्वभाव), सब से पाक व साफ होंगी। **फाइदा** : यहाँ तक तीन चीचें जिनका जानना जरूरी था, बयान फरमाया। **अव्वल** : मब्दा अर्थात हम कहाँ से आए और क्या थे? **दूसरा** : मआश अर्थात क्या खाएं और कहाँ रहें? **तीसरा** : मआद कि हमारा अंजाम (अन्त) क्या है?

3— इस आयत में मुआरजे (आपत्ति) का जवाब दिया गया है जो कुफ्फार की तरफ से पहली आयत पर हुआ। खुलासा उस का यह है कि जब छोटी सी सूरत भी इस कलाम जैसी उन से न हो सकी जिस से उस का कलामे इलाही होना साबित हो चुका तो कुफ्फार ने कहा हर चन्द हम इस कलाम के मुकाबले से आजिज (विवश) है मगर हम दूसरी दलील से इस का कलामे इलाही न होना और कलामे बशरी (मानवी वाणी) होना साबित करते हैं वह यह कि बड़े बुजुर्ग अजीमुश्शान अपने कलाम में जलील व हकीर (तुच्छ) चीजों के जिक्र से इजतिनाब (बचाव) किया करते हैं अल्लाह तआला सब बुजुर्गों से बरतर व अअजम है उस ने कैसे अपने कलाम से मक्खी और मकड़ी का जिक्र फरमाया इस मुआरजे (आपत्ति) का जवाब दिया गया कि इस में कोई शर्म व आर की बात नही कि हक तआला मच्छर या उस से भी बड़ी मिस्ल मक्खी और मकड़ी की मिसाल बयान फरमाए क्योंकि मिसाल से तो तौजीह व तफ्सील (स्पष्टता तथा विस्तार) मुमस्सल लहू (जिस के लिये मिसाल दी जाए) मतलूब होती है। हिकारत (तुच्छता) व अजमत (श्रेष्ठता) से क्या बहस और यह मतलूब जभी हासिल होगा कि मिसाल और मुमस्सल (जिस की मिसाल दी जाए) में पूरी तरह मुताबकत हो, मुमस्सल लहू हकीर होगा तो उस की मिसाल भी हकीर होनी चाहिये वरना तम्सील ही बेहुदा समझी जाए गी। हाँ अगर तम्सील में यह होता कि तम्सील और तम्सील (मिसाल) देने वाले में मुवाफकत जरूरी होती तो बेवकूफो का यह एअंतिराज चल सकता मगर इस का तो कोई बेवकूफ भी काइल न होगा और तौरात व इन्जील और

शेष पृठ 19

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अनुवाद : अताउल्लाह सिद्दीकी

अमतुल्लाह तसनीम

सोने के आदाब

सोते वक्त की दुआ

हज़रत ब्राअ बिन आजब (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते थे तो अपने सीधे पहलू पर लेट जाते फिर फरमाते थे – ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स को तेरे सिपुर्द किया और अपने मुंह को तेरी तरफ मोड़ा, और अपना काम तेरे सिपुर्द किया और मैने तेरी ही जात पर तकिया किया हर चीज में तेरी ही उम्मीद, और हर काम में तुझ से खौफ करते हुए और तुझ से भाग कर, लेकिन जाए पनाह और बचाव नहीं मगर तेरी ही तरफ और मैं उस किताब पर जो तूने नाजिल फरमाई और जिस पैगम्बर को तूने भेजा ईमान लाया। (बुख़ारी)

सोने से पहले की आखिरी बात

हज़रत ब्राअ बिन आजब (रज़ि0) से रिवायत है कि मुझ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने का इरादह करो तो पहले उस तरह वज़ू करो जैसे नमाज के लिए किया जाता है, फिर अपने सीधे पहलू पर लेटो और यही कलिमात कहो जिनका जिक्र हुआ है और सोने से पहले तुम्हारी आखिरी बात यही हो। (बुख़ारी, मुस्लिम)

सुबह की सुन्नत के बाद इस्तिराहत

हज़रत आईशा (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ग्यारह रकअतें पढ़ते थे जब सुबह होती तो फज्र की दो हल्की रकअतें पढ़ कर अपने सीधे पहलू पर लेट जाते थे यहाँ तक कि मुअज्जिन आते और आप को इत्तिला देते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

सोते वक्त के कलमात और जागने के बाद

हज़रत हुजैफा (रज़ि0) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते तो अपने हाथ गालों के नीचे रख कर यह दुआ फरमाते– ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम के साथ मरता हूँ और जीता हूँ। और जब जागते थे तो फरमाते थे" उसी अल्लाह की तारीफ है जिस ने हमें मरने के बाद जिन्दह किया और उसी की तरफ लौट कर जाना हैं। (बुख़ारी)

लेटने का मकरूह तरीका

हज़रत यईश (रज़ि0) बिन तखफितह अलखफारी से रिवायत है कि मुझ से मेरे बाप ने कहा कि मैं मस्जिद में पेट के बल लेटा था, नागाह एक साहब ने मुझे अपने पाँव से हिलाया और कहा इस तरह लेटने को अल्लाह तआला ना पसन्द करता है अब जो मैं देखता हूँ तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। (अबूदाऊद)

बेजिक्र की मजलिस और बे जिक्र किये सो जाना

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी पूरी मजलिस में अल्लाह तआला का जिक्र न करेगा तो खुदा की तरफ से उस का वबाल पड़ेगा और जो बिस्तर पर लेटते वक्त अल्लाह का जिक्र न करेगा तो अल्लाह तआला उस से पुरशिस फरमायेगा। (अबूदाऊद)

लेटने की एक हय्यत

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि0) बिन यजीद से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चित लेटे हुए और एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखे हुए देखा है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फज्र की नमाज के बाद तुलूअ तक बैठे रहना

हज़रत इब्न उमर (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज पढ़ के पलथी मार कर उस वक्त तक बैठे रहते थे कि शेष पृष्ठ 7

मुशतरक खान्दान में पर्दा

डा0 हारून रशीद सिद्दीकी

मियां बीवी अपनी औलाद के साथ एक घर में जिन्दगी गुजार रहें हों तो यह खान्दान मुशतरक खान्दान (सम्मिलित परिवार) नहीं कहलाता, बच्चों के दादा दादी भी हों तब भी कोई मुशतरक खान्दान नहीं कहलाता। लेकिन जब कई लड़के हों और वह जवान हो जाएं और उन की शादियां हो जाएं, एक से जियादा बहुएं घर में आ जाएं तो यह मुशतरक खान्दान कहलाएगा। फिर जब कई बहुओं के लड़के लड़कियाँ जवान हो जाएं और उन की शादियाँ हो जाएं तो यह बड़ा मुशतरक खान्दान कहलाएगा। इस बड़े मुशतरक खान्दान को बड़े मसाइल का सामना होता हैं लेकिन भारी आबादी वाले गाँव, कस्बा और शहरों में इस से बचना सरल (आसान) नहीं। फिर अगर गरीबी साथ है तो और मुश्किल।

मुस्लिम मुशतरक खान्दान में सब से बड़ा मसअला (समस्या) पर्दे का है। पर्दा हर नामहरम से है चाहे वह चचाजाद भाई हो, खाला जाद भाई हो या मामूंजाद और फूफी जाद लेकिन देवर और बहनोइ से पर्दे की सख्त ताकीद की गई है मगर छोटे घर और मुशतरक खान्दानों में यह मअदूम (लुप्त) नजर आता है। अगर देवर और भावज में उम्रों का इतना फर्क हो कि जब देवर जवान हो तो भावज ढल चुकी हो अर्थात कम से कम 20 साल का फर्क हो तो भावज देवर के लिये माँ का मुहतरम (सम्मानित) दर्जा हासिल कर लेती है लेकिन पर्दे का हुक्म इस हाल में भी है। इसी तरह हमजुल्फ (साढू) साहिब हम जुल्फ से चाहे न मिले लेकिन साली साहिबा से मिलने जरूर पहुँचेगे। मअलूम (ज्ञात) रहे कि किसी करीबी ना महरमों के साथ एक घर में रहने पर मजबूर होना और किसी करीबी ना महरम को जो अलग घर में रहता हो या दूसरी बस्ती में रहता हो उस का किसी ना महरम रिश्तेदार औरत से मिलने जाना दोनों में बड़ा फर्क है और यह दूसरी शक्ल जियादा गुनाह रखती है। उलमा हजरात को इस का कोई मुनासिब हल बताना चाहिये।

मेरे नजदीक तो इस का एक हल यह है कि मुशतरक खान्दान में जब बच्चियाँ बुलूग के करीब हो जाएं तो बच्चियों के लिये एक कमरा हवादार दालान के साथ खास कर देना चाहिये जिस में चचा जाद भाइयों और दूसरे ना महरमों का दाखिला ममनूअ (वर्जित) हो, इसी तरह जिस लड़के की शादी हो उस का कमरा अलग हो उसी में बीवी रहे। उस के बैठने उठने के लिये भी खुला दालान हो और वह अपने बालिग देवरों से पर्दा करे। बीवी के बहनोई या मैके के नामहरम रिश्तेदार आएं तो वह बीवी से बराह रास्त न मिलें। वह मर्दाने बैठकों में बैठें। मर्द उन की खातिद मुदारात करे मर्द मौजूद न हों तो बच्चों से यह काम लिया जाए। बीवी का महरम रिश्तेदार घर की लड़कियों और दूसरी बहुओं के लिये नामहरम है ऐसी सूरत में, दूसरी नामहरम औरतों को उस से पर्दा करना चाहिये।

जो हल मैंने पेश किया है उस में बड़ी मुश्किलात हैं। पहली बात तो अकसर लोगो के पास बड़े घर नहीं है कि बहुओं और जवान लड़कियों के लिये अलग–अलग कमरे मुहय्या किये जा सकें, बहू के लिये जिस तरह हो सका अलग कमरे का नज्म किया या सिर्फ रात में छत वगैरह पर अलग इन्तिजाम कर दिया लेकिन लड़कियो के लिये आम तौर से कोई नज्म नहीं हो पाता।

दूसरी मुश्किल रवाज की है कि हिन्दुस्तानी मुआशरे (समाज) में आम आम तौर से चचा जाद, मामूं जाद, खाला जाद, फूफी जाद भाइयों से पर्दा नहीं चल रहा है खास तौर से चचा जाद भाई बहन और मामूं जाद भाई बहन 12 साल की उम्र तक बे रोक टोक एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते खेलते रहे अब अचानक एक दूसरे से पर्दा करने में मुश्किल नजर आती है।

तीसरे मुशतरक घर के निजाम में औरतों के काम बाँटने होते है, कोई झाड़ू लगाती है, कोई खाना खिलाती है यह निजाम भी मुकम्मल पर्दे में रुकावट बनता है। लिहाजा

उलमा हजरात को इस पर ध्यान देना चाहिये और कोई मुनासिब हल से रहनुमाई करनी चाहिये।

मेरे नजदीक एक हल और है वह यह कि पर्दे की कैफीयत (दशा) में इख्तिलाफ हुआ है, कुछ उलमा दलील के साथ मानते है कि चेहरा (मुखड़ा), हथेलियां, और पाँव पर्दे से बाहर हैं, हिदाया में भी इस का इशारा है लेकिन दूसरे बहुत से उलमा दलाइल (तर्क) के साथ मानते हैं कि चेहरे का पर्दा भी जरूरी है मैं भी यही मत रखता हूँ, साथ ही दूसरे मत का एहतिराम (सम्मान) करता हूँ कि उम्मत की बड़ी संख्या (तादाद) इस को अपनाए हुए है। इन्डोनेशिया और मिस्र जैसे देशो की मुस्लिम औरतें चेहरे का पर्दा नहीं करतीं जब कि सऊदिया की सभी औरतें पूरे जिस्म का पर्दा करती हैं उन के यहाँ करीब से करीब नामहरम रिश्तेदार से पर्दा है। अगरचि मैं चेहरे के पर्दे का काइल हूँ लेकिन मुशतरक खान्दान (सम्मिलत परिवार) के महदूद दायरे (सीमित परीधि) में हालात के बिना पर चेहरा खोलने वाले पर्दे की गुंजाइश समझता हूँ और अपने मुशतरक खान्दान में इसी को चला रहा हूँ।

मैं ने देखा कि खुली बेपर्दगी से यह अच्छा है कि दूसरे उलमा के कौल पर अमल कर लिया जाए। मैंने अपने जवान पोते पोतियों और बहुओं में तहरीरी एअलान कर रखा है कि अगर तुम से मुशतरक खान्दान में चेहरे के पर्दे में मुश्किल पड़ रही हो तो सातिर लिबास पहन कर सर के बाल पूरी तरह छुपा कर मुशतरक खान्दान के सामने आ सकती हो, उस को खाना पानी पेश कर सकती हो, जरूरत की बात कर सकती हो अलबत्ता तन्हाई न हो जिस वक्त ऐसे नामहरमों का सामना हो तो घर का कोई दूसरा शख्स मौजूद हो। मैं समझता हूँ मसअले का यह हल काबिले कबूल होना चाहिये।

❑❑

ईद मनाने का अधिकार .....

ईद उनकी नहीं जिन्होंने ढेर सारी खुशियाँ मनाई। ईद तो उनकी है जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और फिर उसपर जमे रहे। फारूके आजम हज़रत उमर (रज़ि0) के खिलाफत के दौर में कुछ लोग उन्हें ईद के अवसर पर बधाई देने आए। देखा अमीरूलमुमेनीन हज़रत उमर (रज़ि0) दरवाजा बंद करके आँसू बहा रहे हैं। लोगो ने हैरत से पूछा, ऐ खलीफा, आज तो ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, फिर ये रोना कैसा? खलीफ–ए–सानी ने कहा ऐ लोगों ये ईद का भी दिन है और वईद (चेतावनी) का भी दिन है, आज जिसकी नमाज रोजा अल्लाह के दरबार में कुबूल हुई उसके लिए ईद है और जिसके रोजे उसके मुंह पर खीच कर मार दिये गए उसके लिए तो वईद (चेतावनी) का दिन है और इस डर से रो रहा हुँ कि मुझे नहीं पता कि मैं स्वीकार किया गया अथवा अस्वीकार।

❑❑

हम कैसे पढ़ाए .....

उचित संशोधन के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि की स्प्रिट को कक्षा–शिक्षण में भी कायम रखने की कोशिश करनी चाहिये। अर्थात टीचर को चाहिये कि वह एक अच्छे डाक्टर की तरह अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस रोगी पर केन्द्रित न करे जो कम बीमार है और जिसे अच्छा करना कोई मुश्किल नहीं बल्कि अधिक ध्यान और समय उन लोगों को दे जिन्हें उस की ज्यादा जरूरत है। उसे यह महसूस करना चाहिये कि स्कूल के स्टेज पर खास अदाकार वह खुद नहीं है बल्कि बच्चे हैं और उन में से हर बच्चे का पार्ट महत्वपूर्ण है। उसे चाहिये कि वह स्वयं बोले कम और सुने ज्यादा। अर्थात् बच्चों को ज्यादा बोलने का मौका दे। स्वयं काम कर के दिखाने के बजाये, कठिनाइयों को समझने और हल करने की कोशिश करे और उन्हें अपना अपना काम करने दे। सिर्फ जरूरत के समय सलाह दे, मदद दे और हिम्मत बढ़ाये। आत्मविश्वास पैदा करने के लिये तरक्की का पैमाना यह नहीं है कि उसे कितनी बातें बताई गयीं बल्कि यह है कि उसने खुद कितनी *बाते निकालीं*। सिर्फ इसी तरह वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा, जो कि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

(जारी....)

❑❑

ईदुल फित्र के रोज़

- इदारा

बेहतर है कि ईद की रात जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरा इबादत में गुजारी जाए और फज्र की नमाज की जमाअत छूटने न पाए।

सुब्ह से ही आहिस्ता आहिस्ता यह तकबीर पढ़ते रहें :

अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल् हम्द।

सुब्ह गुस्ल करें, मिस्वाक करें हस्ब हैसियत अच्छे कपड़े पहनें, खुश्बू लगाएं (अगर मुहय्या हो) सुब्ह को कोई मीठी चीज खाँए जैसे खजूर, छुहारा, हल्वा वगैरा। हमारे यहाँ सिवैयों का रिवाज है यह भी ठीक है। अब अगर सदक–ए–फित्र रमजान में नहीं अदा किया है तो ईदगाह जाने से पहले अदा करें।

सदक–ए–फित्र हर मालदार मुसलमान पर वाजिब है और शरीअत की निगाह में हर वह शख्स माल वाला है जिस के पास 612 ग्राम चांदी या उसके खरीदने भर के रूपये हों उस पर वाजिब है कि वह ईद के रोज अपनी जानिब से और अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से एक किलो 6 सौ ग्राम गेहूँ या उस की कीमत किसी मुहताज को अदा करे। बालिग औलाद और बीवी अगर यह लोग माल वाले हों तो ये अपनी तरफ से फित्रा अदा करें। अगर यह लोग मुशतरक खान्दान में रहते हों और इन के पास अलग से फित्रा अदा करने का इन्तिजाम न हो तो घर का मालिक इन की ओर से भी फित्रा अदा करे तो अच्छा है। अगर किसी के पास 612 ग्राम चाँदी न हो न उसके खरीदने भर के पैसे हों मगर खेती किसानी से मिला हुआ गल्ला जियादा हो तो वह भी फित्रा अदा करे।

मीठी चीज खा कर और फित्रा अदा करने के बाद ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाएं रास्ते में आहिस्ता–आहिस्ता यह तकबीर पढ़ते हुए जाएं – अल्लाहु अक्बर अल्लाहुअक्बर लाईलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल् हम्द।

अनुवाद : अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह सबसे बड़ा है और सब तारीफे उसी के लिए हैं।

ईदगाह में नमाज अदा करें खुत्बा सुनें फिर घर वापस हों। मुम्किन हो तो वापसी का रास्ता बदल दें कि सुन्नत है।

ईद के रोज खुशी का इजहार करना एक दुसरे को ईद मुबारक कहना अच्छी बात है अरब लोग ईद के रोज एक दूसरे से कहते हैं कुल्लो आमिन व अन्तुम बिखेर (पूरे साल तुम खैरियत से रहो)

ईद के रोज जाइज खेल या वर्जिशी खेल खेलना या देखना जाइज है लेकिन गन्दे गानों की रिकार्डिंग ना जाइज और हराम है।

❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें

सूरज अच्छी तरह निकल आता था। (अबूदाऊद)

बैठने की एक हय्यत

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि0) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कअबा के सहन में गोट मारे हुए बैठे देखा है। (बुख़ारी)

हज़रत कीला (रज़ि0) बिन्त महरमह से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोट मारे बैठे हुए देखा और जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर डाली तो आप का इस कदर रौब था कि मैं थर–थर काँपने लगी। (अबूदाऊद)

जारी.....

❑❑

किस्त 20

जागनायक

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

हजरत मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी

वरका बिन नौफल से मुलाकात

फिर हज़रत खदीजा (रज़ि0) आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल जो पिछली आसमानी किताबों का इल्म रखते थे के पास ले गईं कि जियादा इतमिनान की बात मअलूम हो, उन्होने ने तस्दीक (पुष्टि) की, कि यह नबी होने की बाते हैं, और आसमानी किताबों में ऐसा वाके (घटित) होने का जिक्र आया है, यह बाते उसके मुताबिक मअलूम होती है, मैं इतमिनान दिलाता हूँ और इसमें तरह–तरह की मुश्किलात (कठिनाइयां) भी पेश आएंगी, आप उनको बर्दाश्त करें, यह अल्लाह तआला की तरफ से है, उसकी मदद रहेगी। काश मैं जवान होता, काश मैं उस वक्त तक रहता, जब आप की कौम आप को यहाँ से निकालेगी, इस पर रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसल्लम ने कहा : क्या मुझको वह लोग निकालेंगे, उन्होंने कहा हाँ जब भी कोई इस तरह का काम लेकर आया जैसा कि आप के सुपुर्द हुवा, उस के साथ दुश्मनी की गई, और अगर वह वक्त मेरे सामने आया तो मै आपकी पूरी और मजबूत तरीके से मदद करूंगा, उसके बअद कुछ दिनों में वरका का इन्तिकाल हो गया।(1)

1– बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, मुस्नद अहमद, तारीख तबरी : 2/299

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ने लिखने से नावाकिफ (अपरिचित) थे इस लिये उनकी मअलूमात किताबी नहीं थी कि वह जान सकते कि आपसे पहले आने वाले नबियों पर जो सहीफे नाजिल हुवे उनमें क्या लिखा है और आपके बारे में क्या पेशनगोई (भविष्यवाणी) है, इसलिये आपको "वही" आने पर एक तरह से बिल्कुल नई बात मअलूम हुई, हालाँकि आपके जमाने में यहूदी और ईसाई उलमा थे, उनको आप के आपने के इशारे मअलूम थे, उन्ही इशारों को वरका बिन नौफल जानते थे जो कि उन्होंने आपको बताया, आप से पहले की मुकद्दस किताबों में जो इशारे आए उन में से कुछ निम्नलिखित हैं इन्जील व तौरेत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारत इन्जील यूहन्ना अध्याय 14 में इन अलफाज में है,

"और मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें दूसरा "फारकलीत" बख्शेगा कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे।" (14:16)

आगे बढ़कर फिर है–

"लेकिन वह "फारकलीत" जो रूहुल कुदूस है जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब चीजें सिखाएगा और सब बातें जो कुछ कि मैने कही हैं तुम्हे याद दिलाएगा।"

अनुवाद : मु0 गुफरान नदवी

(14:26)

इसी इन्जील के अध्याय 15–16 में है। "पर वह जब "फारकलीत" जिसे मैं तुम्हारे लिये बाप की तरफ से भेजुँगा अर्थात सच्चाई की रूह जो बाप से निकलती है तो वह मेरे लिये गवाही देगा।"

इसी इन्जील के अध्याय 16–17 में है। "लेकिन मैं तुम्हे सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिये मेरा जाना ही फाइदेमन्द है क्यों कि अगर मैं न जाऊँ तो "फारकलीत" तुम्हारे पास न आएगा, पर अगर मैं जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर दुनिया को गुनाह से और सच्चाई और इन्साफ से कुसूरवार ठहरायेगा, गुनाह के बारे में इसलिए कि वह मुझ पर ईमान नहीं लाए, रास्त बाजी (सत्यनिष्ठता) के बारे में इसलिये कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, अदालत (इन्साफ) के बारे में इसलिये कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है, मेरी और बहुत सी बाते हैं कि मैं कहुँ पर अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन जब वह सच्चाई की रुह आएगी तो वह तुम्हें सारी सच्चाई की बात बताएगी, इस लिये कि वह अपनी न कहेगी, लेकिन जो कुछ वह सुनेगी सो कहेगी और तुम्हें

1– सीरत इब्न हिशाम : 238, सही बुखारी

आइन्दा की खबर देगी वह मेरी बुजुर्गी करेगी।"(1)

इसकी पुष्टि कुरआन मजीद की निम्नलिखित आयात में इस तरह मिलती है –"जो लोग इस उम्मी रसूल व नबी की पैरवी (अनुसरण) करते हैं जिसे वह अपने यहाँ लिखा हुवा पाते हैं तौरत व इन्जील में, उन्हें वह सदाचार का हुक्म देता है और उन्हें बदकारी से रोकता है और उनके लिये साफ सुथरी चीजे हलाल बताता है, और उन पर गन्दी चीजे हराम रखता है और उन पर से बोझ और कैदें जो उनपर अब तक थीं उतार देता है सो जो लोग उस नबी पर ईमान लाए और उसका साथ दिया और उसकी मदद की और उस "नूर" की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया है सो यही लोग तो हैं पूरी कामयाबी पाने वाले।" (सूरह आराफ : 15)

कुरआन मजीद में दूसरी जगह फरमाया गया है :–

"और जब ईसा बिन मरयम ने कहा कि ए बनी इसराईल! मैं तुम्हारे पास खुदा का कासिद (दूत) बनकर, और मुझसे पहले जो तौरात आई, मैं उसकी तस्दीक (पुष्टि) करता हूँ और अपने बअद "अहमद" नामक एक पैगम्बर की खुशखबरी लेकर आया हूँ।" (सूरह सफ पारा : 28)

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आने वाले पैगम्बर की जो सिफते, खूबियाँ गिनाई हैं वह हरफ ब हरफ (अक्षर) आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक (सत्यवान) आई हैं। किताबों में बहुत सी रिवायते ऐसी है जिन से सामूहिक रूप से यह साबित होता है कि हजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुहूर (प्रकट) से पहले मदीने के यहूदी भी एक मानने वाले पैगंबर के जल्द जाहिर होने की चर्चे करा करते थे, और उन्ही से सुन–सनु कर कबीले औस व खजरज के कानो में पैगंबर की बेसत की खबर पड़ी हुई थी और अधिकतर लोगों के लिये यह खबर हिदायत का जरिया बनी, चुनाँचि इब्न सअद के अलावा दूसरे तारीख व सियर और हदीस की किताबो में एक नौजवान अंसारी का वाकिआ सही सनद के साथ मजकूर (वर्णित) है, वह कहते है : मैं छोटा था तो मदीने में एक यहूदी वाएज "वक्ता थे वअज के बीच में उन्होंने एक पैगंबर के जुहूर की बशारत दी, लोगों ने पूछा कि वह कब तक जाहिर होगा? उन्होंने उन अंसार की तरफ जो उस सभा में सबसे छोटे थे, इशारा करते कहा कि अगर यह लड़का जीता रहा तो वह उसका जमाना पाएगा, अनस बिन मालिक (रज़ि0) से रिवायत है कि एक यहूदी का लड़का आपकी खिदमत में रहा करता था, इत्तिफाक से वह बीमार पड़ा, आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत (रोगी भेट) को गए, और उसके बाप से पूछा कि क्या मेरा जिक्र तुम तौरेत में पाते हो? उसने कहा नहीं, लड़के ने फौरन जवाब दिया हाँ या रसूलुल्लाह! आप का जिक्र हमने तौरेत में पढ़ा है और यह कहकर उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।(1)

अरबों और यहूदियो में जब लड़ाई होती तो यहूदी कहा करते थे कि एक पैगंबर आने वाले हैं, उनके जमाने में हमको कामिल फतह (पूरी विजय) होगी, कुरआन मजीद ने उनके इसी अकीदे को दोहराकर उनके इस्लाम न कुबूल करने पर निन्दा की है : "इससे पहले काफिरो पर इसी आने वाले पैगंबर का नाम लेकर फतह (विजय) चाहा करते थे, बस–जब वह सामने आ गए जिसको उन्होने पहचान लिया तो इन्कार कर दिया, काफिरों पर खुदा की लअनत (अभिशाप) हो।" (सूरा बकरा : 11)

कुरआन मजीद ने इसके अलावा और भी कई जगह पर यहूदियों की उनके पिछले यकीन के खिलाफ उनके मौजूदह कुफ्र के जाहिर करने पर उनकी सरजनिश (ताडना) की है :–

"जिन को किताब पहले दी जा चुकी है वह यकीनन (उन निशानियों की बिना पर जो उस किबात में मजकूर (उल्लेख) है जानते हैं कि यह हक है उनके परवरदिगाार की तरफ से नाजिल हुवा है।" (सूरा बकरा : 10)

"जब कि हम पहले किताब दे

1– खुतबात अहमदिया, खुतब–ए–बशारते मुहम्मदी, बहवाले सीरतुन नबी भाग–3, पृष्ठ 432–433)

1– तफ्सील के लिये मुलाहिजा करें : सीरतुन नबी अल्लामा स0 सुलेमान नदवी भाग 3, पृ0 433।

चुके हैं, इस्लाम की सच्चाई को उसी तरह जानते हैं जिस तरह वह अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन उन में से एक फरीक जान कर हक को छुपाता है।'' (सूरा बकरा : 17)

जिसको हम पहले किताब दे चुके है वह उसको उसी तरह जानते है जिस तरह वह अपने बेटों को'' (सूरा अनआम : 2) वेदों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषताओं से संबंधित पेशनगोइयाँ (भविष्य वाणी) हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषताओं का वर्णन हिन्दू कौम की धार्मिक पुस्तक वेदों में भी आया है जो इस प्रकार है:

1– मुहम्मद (नराशंस)की प्रशंसा की जाएगी और वह सबको प्रिय होगा।

2– मुहम्मद (नराशंस) सवारी के रूप में ऊँटों का प्रयोग करेगा, (अथर्वेद 20–227–2)

3– मुहम्मद (नराशंस) को इल्मे इलाही (ईश्वरी विद्या) दिया जाएगा (ऋग्वेद संहिता (1–23–3)

4– मुहम्मद (नराशंस)बहुत खूबसूरत और इल्म की ओर बुलाने वाले होंगे। (ऋग्वेद 2–3–2)

5– मुहम्मद (नराशंस) लोगों को गुनाहों से निकालेगा। (ऋग्वेद 1–106–4)

6– मुहम्मद (नराशंस) का एक दुनियावी नाम मुहम्मद होगा, (अथर्वेद 20–127–3)

7– मुहम्मद (नराशंस) दस मालाओं वालों होगा। (अथर्वेद 20–127–6)

8– मुहम्मद (नराशंस) दस हजार गववों वाला होगा। (अथर्वेद 20–127–6)

9– मुहम्मद (नराशंस) की प्रशंसा की जाएगी (ऋग्वेद 1–13–6)

10– समाज में क्रान्ति लाएंगे और बुराइयों को समाप्त करेंगे। (भगवत पुराण 12, स्कन्दर 2, उपाध्याय 2, वाँश्लोक)

11– जब कल्की के शरीर से खुशबू लोगों को छुवेगी तो उनका दिल गुनाहों से पाक हो जाएगा। (भगवत पुराण 12, स्कन्दर 2, उपाध्याय 2, वाँश्लोक)

12– आखिरी नबी को ''जगत गुरू'' जगनायक बनाकर भेजा जाएगा।(1)

जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ''सीरत'' के जानकार हैं वह भली भांति समझ सकते है कि ऊपर दी गई तमाम विशेषताएं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही केवल पूर्ण रूप से साबित होती हैं।

❑❑

1– हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और मुर्ति पूजा की मुमानिअत वेदों की दुनिया में पृ0 25–27 मुफती सरवर फारूकी नदवी।

कुर्आन की हुकूमत

मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी (रह0)

''कुर्आन की हुकूमत अगर किसी खित्त–ए–जमीन पर कायम हो जाये तो आबकारी का मुहकमा शरीफ तो उसी दिन विलुप्त प्राय हो जाये, बड़े बड़े होटलों में पीने पिलाने की दुकान बढ़ जाये (खत्म हो जाये), शराबियों, अफियूनियों, चांडबाजों के होश ठिकाने आ जायें, ताड़ी खानों, सेन्धी घरों में झाड़ फिर जाये, जुआ घरों में ताले पड़ जायें, नाचघर उजड़ जायें, अश्लीलता व बेहयाई के ऊँचे–ऊँचे वाला खानों पर खाक उड़ने लगे। एक्टर और एक्ट्रेस का बाजार सर्द पड़ जाये। ''हॉलीवुड'' में नौबत भुखमरी की आ जाये, सिनेमा और थियटरों के पर्दों पर हमेशा के लिये पर्दा पड़ जाये, अदालतों की रौनक और वकालत की जान दरोग़ हल्फी (झूठी कसम) जाती रहे, सूदी बैंकों और महाजनी कोठियों में कुत्ते लोटने लगें, लाटरियां पड़ना, दीवाले निकलना, जायदादों का नीलाम किस्सा कहानी बन जाये। मुजरिमों की, मजनूनों की, आत्म हत्या करने वालों की संख्या घटते–घटते सिफर तक आ जाये। चोरों, रहजनों, कातिलों पर दुनिया तंग हो जाये। डिप्लोमैसी के लकब से इज्जत पाने वाली मक्कारियां, आर्ट और फाइन आर्ट के पर्दे में चमकने वाली बेहयाइयां सब इस संसार को वियोगी बना दें।''

(पाक्षिक तामीरे हयात लखनऊ 25 मई 2010 से साभार)

❑❑

मुस्लिम समाज

- हज़रत मौलाना मुहम्मद राबे हसनीनदवी

तालीम में तरक्की की जरूरत

तालीम (शिक्षा) सभ्य इन्सान की ऐसी ही जरूरत है जैसे स्वास्थ के लिये खाना। वर्तमान युग में पश्चिमी कौमों की तालीम के मैदान में चिन्तन, विकास और व्यवस्था, फिर इस के दूरगामी परिणाम निकलना सब के सामने है। उन को देख कर हमारे पूर्वी देशों में भी अपने लिये तालीम की बेहतर व्यवस्था और रख रखाव की जरूरत का एहसास बढ़ा और फलतः आधुनिक विषयों के विद्यालय खुले और खोले जा रहें हैं। लेकिन यह कार्य बड़े संसाधन और सुव्यवस्था तथा फिक्रमन्दी का तालिब है जिस की मुसलमानों में कमी भी है और इस की तरफ ध्यान भी अभी कम है। फिर भी इस के जो संसाधन, जरूरतें और कठिनाइयाँ हैं उस की तरफ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उन की निष्ठा और प्रयास पर बेहतर नतीजे की प्राप्ति निर्भर है।

मुसलमानों द्वारा स्थापित विद्यालयों में एक तो वह संस्थायें हैं जिन में दीनियात की हिफाजत और उस के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित विषयों की शिक्षा दी जाती है। वह अवामी चन्दे से अपनी माली जरूरत पूरी करती हैं। और इस में इस्लामी शऊर रखने वाले धनवान अपने जज्ब–ए–दीनी के मुताबिक हिस्सा लेते हैं। ये संस्थाएं उम्मत को उलमा–ए–दीन, मजहबी रहबर व समाज सुधारक देती हैं जो मुसलमानों में दीन की हिफाजत और उन के जीवन को धार्मिक नियमों का पाबन्द बनाने की कोशिश का अपना कर्तव्य अंजाम देते हैं।

इन संस्थाओं की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या हुकूमत की तरफ से इन को मान्यता देने का होती है। फिर मान्यता प्रदान करने के बाद इन को मिल्लत की विशेशताओं को बाकी रखते हुए चलाने की और आजादाना अमल करने की समस्या होती है। दूसरे उन के माली तकाजों को पूरा करने की समस्या होती है। क्यों कि इन का खर्चा खासा होता है जो हुकूमत की सहायता या उदार धनवानो के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। फिर एक जरूरत इन को मुसलमानों की बिखरी हुई बस्तियों में जगह जगह कायम करने की होती है जो हुकूमत और उदार धनवानों दोनों की मदद से ही पूरी हो सकती है। यह काम अकेले हुकूमत की मदद से मिल्लत की विशेषताओं के साथ नहीं हो सकता। अपनी मिल्लत की विशेषताओं के साथ चलाने के लिये प्राइवेट संस्थाओं की व्यवस्था जरूरी होती है। और मुसलमानों के लिये एक ऐसे मुल्क में जहाँ वह अल्पसंख्यक हैं यह समस्या और महत्वपूर्ण बन जाती है क्यों कि हुकूमत के सेकुलर होने और मुसलमानों के अल्पसंख्यक होने के कारण हुकूमत की सहायता मुसलमानों के मिल्ली विशेषताओं की संस्थाओं को कम ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी दशा में स्वयं अल्पसंख्यक को साहस जुटाने की जरूरत होती है। और आत्मनिर्भर बनना होता है। इस में अगर हुकूमत से सहायता मिलनी हो तो उस से फायदा उठाना चाहिये। लेकिन इस सावधानी के साथ कि इस से संस्था के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भारत में मुसलमानों की व्यवस्था के तहत जो आधुनिक शिक्षा की संस्थायें हैं, मुल्क के सेकुलर होने के आधार पर अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिये गये हैं उन की बुनियाद पर यह संस्थायें मुस्लिम इन्तेजाम में और अपनी इच्छानुसार बड़ी हद तक चलाये जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हुकूमत से मदद भी मिलती या मिल सकती है तो यह एक बड़ी सहूलत है जिस से मुसलमानों को अपनी पहचान

के साथ अपनी शैक्षिक संस्थायें चलाने का अवसर मिलता है। किन्तु यह मुस्लिम प्रबन्धन के इरादे और क्षमता पर निर्भर हैं क्यों कि संस्था की पॉलिसी का निर्धारण, फिर इस की सुरक्षा तथा उस के कार्यों में चुस्ती और उद्देश्य के अनुसार कार्य करदगी यह सभी प्रबन्ध तन्त्र की लगन और तन्मयता पर निर्भर होता है, इस तौर पर पहली जिम्मेदारी प्रबन्ध तन्त्र पर आती है। लेकिन प्रबन्ध तन्त्र की तन्मयता का असल फायदा तब होता है जब प्रबन्ध तन्त्र के लोग शैक्षिक संस्थाओं की कठिनाइयों और उन की जरूरतों की पूरी जानकारी रखते हों और मिल्लत की शैक्षिक जरूरत तथा मिल्लत की पहचान के महत्व से पूरी तरह आगाह हों ताकि उस के अनुसार वह ध्यान दें और इस बात का जवाब दे सकते हों कि उन के मुल्क बल्कि शहर में अन्य अनेक संस्थाओं के होते हुए और अधिक इस संस्था की जरूरत क्या है, आया सिर्फ तादाद में बढ़ोत्तरी करने के लिये या अपने एक जुदा रंग और विशेषता के साथ संस्था को चलाने के लिये, और अगर जुदा रंग और विशेषता की संस्था कायम करना है तो यह क्यों और किस मकसद से कायम करना है?

लेकिन इस के साथ यह भी सच है कि मुस्लिम संस्थाओं को जब हुकूमत से मदद मिलती है तो उनके पाठयक्रम और प्रबन्धन पर कुछ नियम भी हुकूमत की तरफ से आयद किये जाते हैं जो संस्था के मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र को पूरा करने होते हैं। इन नियमों की परिधि से बाहर अन्य अनेक पहलुओं में संस्था को मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र की मर्जी के अनुसार चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। उन को अपनी मर्जी के अनुसार अमल करने का यह अधिकार देश के सेकुलर संविधान के आलोक में प्राप्त होता है। इन संस्थाओं का यही वह पहलू है जिस के अनुसार मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र को अपनी मिल्ली पहचान के साथ शैक्षिक व्यवस्था का बन्दोबस्त करने की सहूलत हासिल होती है और मुसलमान विद्यार्थियों को अपनी विशेषताओं को बरकरार रखने और मजबूत बनाने का मौका हासिल हो जाता है और यह बात चूंकि इन शिक्षण संस्थाओं को मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है इस लिये संस्था को लाभप्रद ढंग से चलाने की जिम्मेदारी मूलतः मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र पर जाती है। यदि मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र अपने इस हक को ध्यानपूर्वक प्रयोग न करें तो फिर मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र के होने या ना होने में कोई अन्तर नहीं रह जाता। और जहाँ तक कठिनाइयों का सम्बन्ध है तो इस सेकुलर मुल्क में मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र के अधीन जो संस्थायें चल रही हैं उन की दो बातें अधिक ध्यान देने योग्य हैं एक तो यह कि प्रबन्ध तन्त्र के व्यक्तियों में एकता और तालीम के बड़े मकसद के लिये अपनी व्यक्तिगत राय और विचार को आपस में जोड कर चलाना कभी–कभी खासा मुश्किल बन जाता है और प्रबन्ध तत्र के सदस्यों की राय का मतभेद बाज–बाज वक्त अनन्त मतभेद बन जाता है। इस मतभेद के कारण संस्था के बुनियादी हितों को बड़ा नुकसान पहुंचता है और संस्था कमजोर होकर पूर्ण सफलतता से दूर हो जाती है।

दूसरी उल्लेखनीय समस्या यह होती है कि शिक्षा–व्यवस्था में मिल्लत के मिजाज और उसके मकसद का लेहाज यथोचित ढंग से नहीं होता। इस कमी का असर यह होता है कि युवा विद्यार्थी की संरचना इस्लामी मिजाज के अनुरूप नहीं हो पाती।

बहरहाल मुस्लिम प्रबन्ध वाली संस्थाओं की कुछ कठिनाइयाँ तो प्रबन्ध तन्त्र की कुछ कमजोरियों और असावधानियों से पैदा होती हैं और कुछ कमजोरियाँ संसाधन की कमी के बिना पर होती हैं, इन में एक कठिनाई संस्था की जरूरत के अनुसार आर्थिक अभाव की है। वह प्राइवेट और अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण हुकूमत से इतनी मदद के हकदार नहीं हो पाती जितनी उन के अपने वाँछित योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये काफी हो। अतएवं इस समस्या के हल के

लिये उन को मिल्लत के धनवानों की तरफ लामुहाला देखना पड़ता है जो इस जरूरत के महत्व को इस तरह महसूस नहीं कर पाते जिस तरह महसूस करना चाहिये। इस कमी के कारण संस्था की तरक्की में रूकावट पैदा हो जाती है। इस लिये इस के लिये उन लोगों का ध्यान अकर्षित करने की जरूरत है। इस के लिये संस्था के जिम्मेदारों को जनसम्पर्क बढ़ाना चाहिये। जरूरत है कि मिल्लत के प्रभावशाली और खाते पीते लोगों की हमदर्दी और सहयोग प्राप्त किया जाये।

दूसरा पहलू जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, इन संस्थाओं की शैक्षणिक व्यवस्था है। टीचर्स को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रखना और उन्हें सक्रिय बनाना और उनके अन्दर अधिक कार्य करने की भावना जागृत करना, यह एक जरूरी काम है जो करने का है।

तीसरी बात पाठयक्रम की है। जो पाठयक्रम इन संस्थाओं को अंग्रेजों के जमाने में वर्से में मिला है वह अभी तक अंग्रेजों द्वारा अपनाये गये उद्देश्यों के दायरे से आजाद नहीं हो सका है। इस में जो शैक्षणिक व्यवस्था अपनायी जाती है वह युवा विद्यार्थी को एक अच्छा क्लर्क अथवा अफसर या भौतिकवाद की प्राप्ति की हद तक फायदा पहुंचाने का काम करता है, वह इन युवाओं को सही सोच और सही कल्चर वाला नहीं बनाता, अलावा कुछ ऐसे लोगों के जो अपने घरों से अच्छे संस्कार लेकर इन संस्थाओं में आते हैं। वह तो अपनी नैतिक व साँस्कृतिक विशेषताओं को कायम रखते हैं, और आगे चलकर मिल्लत को इससे फायदा पहुँचाते हैं, लेकिन यह संस्थायें अपने पाठयक्रम से ऐसे लोग पैदा नहीं कर पाती हैं जो इल्म व अमल में विशिष्ट हों। इन संस्थाओं के पाठयक्रम का विशेषकर वह हिस्सा जो भाषा व साहित्य और सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित होता है, व्यवहार में इन विशेषताओं से खाली होता है जिन की जरूरत एक मुस्लिम युवा को अपनी मिल्लत की विशेषताओं और जरूरत के अनुसार अपने व्यक्तिव की संचरनाा के लिये होती है। इस खराबी को दूर करने के लिये पाठयक्रम को विशेषकर भाषा व साहित्य तथा सामाजिक विज्ञान की किताबों को नये सिरे से तैयार करने की जरूरत है और जब तक यह जरूरत पूरी न हो सके तब तक विद्वान लोग जारी शुदा पाठयक्रम का जायजा लेकर मिल्लत के अक़ीदे से जोड़ न खाने वाली चीजों को नजर में लायें और युवा विद्यार्थियों को इस से अवगत करायें ताकि वह इस के नुकसान से बच सकें।

हमारी संस्थाओं को समय की गति और विज्ञान के विस्तार पर भी नजर रखने की जरूरत है। जरूरत है कि हमारी संस्थाएं नई–नई खोज पर नजर रखे ताकि हम इस क्षे.त्र में पीछे न रह जायें।

वास्तव में मुस्लिम प्रबन्ध तन्त्र वाली संस्थाओं पर ऐसे लोग ढालने की जिम्मेदारी आयद होती है जिन की वर्तमान युग में उच्च स्तर पर मार्ग दर्शन की जरूरत है। हम अपने शानदार भूतकाल को सामने रखें और अपने युवा वर्ग को इस से वाकिफ करायें ताकि उन में हौसला बढ़े और हम तरक्की करें। मुमकिन है वह इस रौशनी में योरोप की सिर्फ बराबरी ही नहीं बल्कि उस से आगे बढ़ जायें। उनको यह भी समझना चाहिये कि योरोप ने अपने सारे विकास के लिये सिर्फ अपनी शारीररिक और भौतिक राहत को लक्ष्य बनाया है। लेकिन मुसलमान जीवन के जायज पहलुओं को हासिल करने के साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा और मानवता आधारित आचरण की सीख को अपना कर्तव्य समझता है। और उस की शिक्षा कुरआन और हदीस से मिलने वाले आदेशो पर आधारित है। और यह कि वह दुनिया की बेहतर से बेहतर तरक्की में लोगों का नेतृत्व करने के लिये आया है। उस के पूर्वजों ने इस पर अमल किया है जिस की मिसाले उम्मत के इतिहास में खासी मिलती हैं।

(जारी.....)

❑❑

क़िस्त

हम कैसे पढ़ायें?

व्यक्तिगत विशेषतायें और शिक्षण

– डॉ. सलामत उल्लाह

सामूहिक शिक्षण की खराबियाँ

विशेषताओं की अनदेखी कर दी जाती है और सब को एक ही साँचे में ढालने की कोशिश की जाती है, उस डाकू की कार्यविधि की याद दिलाता है जो अपने कैदियों को एक चारपाई पर लिटा देता था, और अगर वह चारपाई से छोटे होते थे तो उन को इतना खींचता कि वह चारपाई के बिल्कुल बराबर हो जाते थे, और अगर वह चारपाई से बड़े होते थे तो वह वह बढ़े हुए अंगों को काट कर चारपाई के बराबर बना देता था। कक्षा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को एक स्तर तक पहुँचाना होता है इस का अर्थ है कि हमारे सामने पहले से शब्द "औसत" योग्यता की कल्पना होती है। जो बच्चे मानसिक रूप से अधिक तेज हैं वह कम समय में इस स्तर पर पहुँच जाते हैं और इस लिये उन को उस समय तक मजबूरन आगे बढ़ने से रोका जाता है जब तक "औसत" दर्जे के बच्चे निर्धारित स्तर प्राप्त न कर लें। इसी तरह जो बच्चे पैदाइशी मन्द बुद्धि के होते हैं उन्हें जबरदस्ती इस स्तर पर पहुँचाने की कोशिश की जाती हैं नतीजा यह होता है कि तेज बच्चे अपने बौद्धिक विकास का पूरा–पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और नुकसान उठाते हैं। और मन्द बुद्धि वाले बच्चे औसत दर्जे के बच्चों के साथ नहीं चल सकते और अपनी योग्यतानुसार जो कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते थे, उस से भी वंचित रह जाते हैं।

व्यक्तिगत गुण

अनुभवी टीचर्स जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीखने के मामले में दूसरे से भिन्न होता है। इस का एक कारण यह है कि व्यक्तियों में पैदाइशी तौर पर विभिन्न क्षमतायें होती हैं। शारीरिक, मानसिक या सौन्दर्य की दृष्टि से व्यक्तियों में विशिष्टता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में सब के लिये विषय वस्तु और विधि समान नहीं होने चाहिये, लेकिन शिक्षण में "व्यक्तिगत" का अर्थ यह कदापि नही है कि कक्षा शिक्षण को एक सिरे से खत्म कर दिया जाये, क्योंकि क्लास एक बहुत अच्छी और लाभदायक संस्था है। इस की बुनियाद आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्तों पर कायम है। किसी मुल्क या कौम का काम कक्षा शिक्षण के बिना नहीं चल सकता। यद्यपि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने जन्मजात गुणों के अनुसार अधिक से अधिक तरक्की कर सके। किन्तु कोई राज्य भी अपने प्रत्येक नागरिक के लिये अलग–अलग शिक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकता क्यों कि इस का मतलब है कि एक विद्यार्थी के लिये एक शिक्षक हो, इस तरह एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिये अपना सारा समय लगा दे। यह बात अर्थ हीन है। पुराने जमाने में राजुकमारों और अमीरों के लड़कों के लिये कुछ लोगों की सेवाये प्राप्त कर ली जाती थीं लेकिन यह व्यवस्था सब के लिये असम्भव है और अगर सम्भव भी हो तो किसी तरह मुनासिब नहीं। नेशन के लोगो में एकता का एहसास पैदा करने के लिये कक्षा शिक्षण अपरिहार्य है किन्तु कक्षा शिक्षण के वर्तमान तरीकों में संशोधन की जरूरत है। कक्षा शिक्षण के साथ–साथ व्यक्तिगत शिक्षा भी दी जा सकती है। लेकिन इस के लिये छोटी कक्षाएं और अधिक सामान व सूझ–बूझ वाले टीचर्स आवश्यक्ता होगी। और टीचर्स की ट्रेनिंग के तरीकों में परिवर्तन करने की जरूरत होगी। अब तक (1946) ट्रेनिंग कालेजों में कक्षा शिक्षण के हुनर में अभ्यास कराया जाता है, लेकिन अब इन में बच्चों की व्यक्तिगत व्यस्तताओं और

अभिरूचियों से काम लेने और शैक्षिक लाभ उठाने के तरीके सिखाये जायेंगे। दूसरे यह कि स्कूल के सामान की बनावट और क्रम में एक बड़ी क्रान्ति की जरूरत होगी। मेज और कुर्सियाँ जो अब तक अपनी जगह पर जमी रहती थीं, अब आवश्यक्तानुसार कभी किसी क्रम से और कभी किसी क्रम से रखी जा सकेंगी। अब बच्चे खोमोशी से सबक रटने के बजाय अपनी कक्षा में पूरी तरह व्यस्त होंगें। न सिर्फ टोलियों में बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी। शिक्षण अब इसका नाम नहीं होगा कि टीचर स्वयं भाषण दे, बच्चों से कुछ चीजें निकलवा दे बल्कि उस का सब से बड़ा उद्देश्य यह होगा कि बच्चों में स्वतः सीखने का शौक पैदा हो जाये।

अगर हम यह समझे कि कक्षा पढ़ाने की एकाई नहीं है बल्कि इन्तेजाम की एकाई है तो क्लास को कायम रखना हानिकारक होने के बजाये लाभदायक होगा। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हर बच्चा दूसरे से पैदाइशी रूझान और क्षमताओं के ऐतबार से भिन्न है, फिर एक ही चीज एक ही तरीके से सब के सर मढ़ने का क्या अर्थ? मॉन्टेसरी और उन के समर्थक इसी आधार पर कक्षा शिक्षण का धोर विरोध करते हैं। यद्यपि व्यवस्था के दृष्टि कोण से वह कक्षा गठन के खिलाफ नहीं हैं। वह बच्चों के शिक्षण के क्रम में "पढ़ाना" शब्द प्रयोग करना पसन्द नहीं करते, बजाय इस के कि वह बच्चे की सिर्फ "रहनुमाई" (मार्गदर्शन) करना चाहते हैं। उन के नजदीक व्यक्तित्व के विकास के लिये आजादी होनी चाहिये। और क्लास टीचिंग में इस की सम्भावनाएं नहीं के बराबर हैं। उन के यहाँ बच्चा दिये गये कार्य में से कोई एक दो कार्य चुन लेता है। उसे अपने कार्य करने में पूरी आजादी होती है, शर्त यह है कि वह किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे।

कक्षा–शिक्षण

लेकिन क्लास टीचिंग अगर अनुकूल परिस्थितियों के अधीन दी जाये तो इस में कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। कुछ विषयों के शिक्षण के लिये क्लास टीचिंग की विधि निश्चय ही अधिक उचित है। वे विषय जिनसे मानसिक अथवा नैतिक आदते पैदा करना वाँछित होता है अगर एक बच्चे या छोटी क्लास को पढ़ाये जायें तो उन का असर बहुत कम हो जाता है। साहित्य, दीनियात, आर्ट और म्यूजिक, इतिहास और भूगोल के कुछ हिस्से पढाने या समझाने के लिये बड़ी क्लास को छोटी पर प्राथमिकता देनी चाहिए।

व्यक्तिगत शिक्षण या कक्षा–शिक्षण?

जहाँ तक टीचिंग के असल कार्य का सम्बन्ध है, सामन्यतः समझा जाता है कि व्यक्तिगत टीचिंग क्लास टीचिंग के मुकाबले में ज्यादा कामयाब साबित होती है। जिस टीचर के जिम्मे एक बच्चे की टीचिंग है, वह बच्चे का विस्तृत अध्ययन कर सकता है, उस की कठिनाई का सही अन्दाजा कर सकता है उस के अनुसार अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकता है। इसके मुकाबले में क्लास टीचिंग वाला टीचर अधिक से अधिक वह विधि अपना सकता है जिस से अक्सर बच्चों को फायदा हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर रह जायेंगे जिन्हें इस तरीके से कोई फायदा न होगा। क्लास टीचिंग वाले टीचर को जहाँ यह कठिनाइयां हैं वहाँ कुछ आसानियाँ भी हैं। क्लास टीचिंग में टीचर एक तरह की उमंग महसूस करता है। बच्चों के लिये भी सीखने में मुकाबला की स्प्रिट बड़ी मदद देती है। क्लास में विभिन्न बच्चों की मानविक क्षमताओं के अनुसार विषय–वस्तु को विभिन्न अन्दाज में पेश करने की कोशिश बेशक टीचर के लिये कुछ कष्टदायक होती है लेकिन इस का नतीजा अच्छा होता है। क्योंकि क्लास के सभी बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं कम से कम एक बार हर किस्म के बच्चे की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ विषय–वस्तु को नये अन्दाज में पेश करने से हल हो जाती हैं। मन्दबुद्धि बच्चे भी जब एक चीज को अलग अलग अन्दाज से सुनते और देखते हैं तो कुछ न कुछ जरूर समझ जाते हैं। तेज बच्चे जो किसी चीज को पहली बार समझ जाते हैं अलग–अलग पहलू से उसी चीज को देख कर अपनी जानकारी और पुख्तः कर लेते हैं।

निष्कर्ष

व्यक्तिगत शिक्षण के लाभ को स्वीकार करते हुए अनुभवी अध्यापक क्लास की टीचिंग से भी फायदा उठाता है। बच्चों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना टीचर के लिये बहुत जरूरी है और उन की व्यक्तिगत कठिनाइयों को समझने में कामयाबी है। लेकिन क्लास टीचिंग के फायदों की अनदेखी कर देना बड़ी गलती होगी।

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि यह सिद्धान्त टीचिंग में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।

"व्यक्तिगत" का प्रयोग

क्लास की टीचिंग से मजबूर होकर उन्नसवीं सदी के अन्त में उन के इलाज और सुधार की तदबीरें (उपाय) सोची जाने लगीं। बीसवीं सदी के शुरू में तीस साल में व्यक्तिगत शिक्षण के वह बहुत ही सारगर्भित तरीके ईजाद किये गये जिन के नाम डाल्टन प्लान और वेनटिका प्लान हैं। इन दोनों तरीकों की विशेषता यह है कि इन में सुस्पष्ट और सुनिश्चित गृह–कार्य से काम लिया जाता है और इन के द्वारा विद्यार्थी को विभिन्न विषयों के सीखने में मदद दी जाती है और वह अपनी क्षमता के अनुकूल ज्ञान प्राप्त करता है। इन विधियों के समर्थकों का ख्याल है कि बच्चे को अपनी अच्छानुसार सीखने की आजादी देने से उस में आत्मविश्वास का गुण पैदा होता है और वह जल्द सीखता है।

डाल्टन प्लान

मिस यार्क हर्स्ट नामक महिला ने मन्दबुद्धि वाले बच्चों की अलग शिक्षा के लिये एक विधि निकाली और जब उन्हें इस में कुछ कामयाबी मिली तो उसे औसत दर्जे के बच्चों की टीचिंग में प्रयोग करने का इरादा किया। सब से पहले सामान्य बच्चें के शिक्षण में प्रयोग करने का इरादा किया, और यह विधि सब से पहले संयुक्त राज्य अमेरीका के डाल्टन हाई स्कूल में इस्तेमाल की गई, इस वजह से इस का नाम डाल्टन प्लान (पद्धति) पड़ गया, प्रारम्भ में इस पद्धति को नौ से बारह साल के बच्चों की टीचिंग में बरता गया। परिणाम उत्साहजनक रहे इस लिये आगे चलकर इस से बड़ी उम्र के बच्चों के शिक्षण में भी काम लिया गया और यहाँ भी यह पद्धति कामयाब साबित हुई।

विशेषताएं

इस पद्धति की विशेषतायें निम्नवत हैं :–

1– हर विषय का टीचर अलग होता है वह अपने विषय से सम्बन्धित एक महीने की कार्य योजना तैयार करता है और हर बच्चे से इसे निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने का संकल्प लेता है। पत्र इस प्रकार का होता है : संकल्प मैं..... कक्षा. ..... का विद्यार्थी गृह कार्य न0..... को पूरा करने का संकल्प लेता हुं। दिनांक ..... गृह कार्य सामने रहने से प्रत्येक विद्यार्थी उनपर पहले से चिन्तन–मनन करता है और स्कूल में जा कर अपना काम शुरू कर देता है। काम शुरू होने से पहले अगर किसी आम चर्चा की जरूरत होती है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। उस समय सभी विद्यार्थी काम के बारे में अपनी अपनी राय देते हैं इस प्रकार कार्य का प्रकार और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

2– प्रत्येक विषय से सम्बन्धित पुस्तकें और अन्य वस्तुएं जैसे नक्शें, चार्ट आदि अलग–अलग कमरों में सुव्यवस्थित रखे रहते हैं, विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार जिस विषय के कमरे में जा कर काम करना चाहे, कर सकता है। वहाँ उस विषय का खास टीचर भी मौजूद होता है जो जरूरत के समय उस की मदद करता है। वैसे तो हर बच्चे को आजादी है कि जिस तरह चाहे काम करे, लेकिन आसानी के लिये उसे हर विषय के मासिक कार्य को बीस हिस्सों में बाँट कर प्रतिदिन एक हिस्सा पूरा करना होता है। यह भी हो सकता है कि किसी बच्चे को एक ही विषय का महीने भर का काम लगातार करने दिया जाये और जब वह खत्म करे तो दूसरे विषय का काम शुरू करे, लेकिन यह जरूरी है कि जब तक प्रत्येक विषय का महीने भर का काम खत्म न हो जाये किसी विषय की नई एसाइनमेन्ट न दी जायें। व्यक्तिगत शिक्षण की बाज स्कीमों में जैसे वेनटिका प्लान में यह भी सम्भव है कि एक विद्यार्थी किसी विषय मे एक क्लास का काम कर

रहा हो और किसी में दूसरी का।

3– टीचर और विद्यार्थी दोनों प्रतिदिन के कार्य का रिकार्ड रखते हैं ताकि तुरन्त मालूम किया जा सके कि बच्चा किस रफ्तार से काम कर रहा है और कहाँ तक पहुँचा है और अगर किसी की गति धीमी है तो उसे उचित निर्देश और मदद दी जा सके। काम खत्म हो जाने पर टीचर कुछ महत्वपुर्ण प्रश्नों के द्वारा इस बात का अन्दाजा लगा लेता है कि विद्यार्थी ने इस काम पर अच्छी तरह महारत हासिल कर ली है अथवा नहीं। बच्चे भी अपने जानकारी के विकास का अन्दाजा अपने कार्य के चार्टों से लगा सकते हैं।

4–दोपहर के बाद कक्षा शिक्षण की भी व्यवस्था होती है जिस में वह बाते पढ़ाई जाती हैं जिनका या तो गृह कार्य से सम्बन्ध है या जो व्यक्तिगत रूप से सफलतापूर्वक नहीं बताई जा सकतीं जैसे इतिहास के वे पाठ जिन से यह वाँछित है कि विचारों और व्यक्तियों की सही कद्र व कीमत समझने की सलाहियत पैदा हो, इस समय गृहकार्य के सम्बन्धित सामूहिक कठिनाइयाँ भी दूर की जाती हैं, ज्यादातर काम एक चर्चा के रूप में होता है ताकि टीचर और विद्यार्थी मिल कर महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कर सकें।

निर्देश

इस विधि को अमल में लाते समय कुछ बाते टीचर को दृष्टिगत रखनी चाहिये :–

1– व्यक्तिगत काम की अच्छी तरह देख भाल करना अत्यन्त जरूरी है। नहीं तो समय नष्ट होने, दिलचस्पी खत्म हो जाने और काम खराब होने की आशंका है। बच्चों को सिखाना चाहिये कि वह क्लास के सम्मिलित शैक्षिक सामान के प्रयोग में किस प्रकार किफायते शेआरी (मितव्यय) से काम लें, बच्चों में अपना समय विभिन्न कार्यों के लिये बाँटने की आदत डालनी चाहिये। किसी बच्चे के जो विषय अच्छे हैं उन में कम समय देने की जरूरत है और जिन में वह कमजोर है उन में अधिक समय देना होगा। अगर एक हफ्त': तक काम करने के बाद मालूम हो कि बाज कामों में सन्तोषजनक उन्नति नहीं हो रही है तो उसे अपनी कार्य विधि में परिवर्तन करना होगा। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की इजाजत होनी चाहिये। ऐसा करने से उन में सहभागिता और सहकारिता की आदत पैदा होगी। इस में दूसरों की नकल करने का कम खतरा है। विद्यार्थी बहुत जल्द महसूस करने लगते हैं कि अपना काम स्वयं करने के बजाय दूसरों से करवाना उनके लिये लाभप्रद नहीं होता क्योंकि महीने का काम खत्म होने पर उन्हें बिना किसी बाहरी मदद के अपने किये हुए काम में जाँच के लिये तैयार होना पड़ता है।

2– लिखित कार्य की अधिकता अच्छी नहीं, क्यों कि टीचर एक खास मात्रा से अधिक लिखित कार्य नहीं देख सकता, और उस काम से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सकता जिसे टीचर जाँच न सके। टीचिंग के दौरान में आजादी, उपज और जिम्मेदारी पर जोर देना चाहिये क्यों कि यह वह खूबियाँ हैं जो इस पद्धति के खास नतीजे के रूप में पेश की जाती हैं।

खामियाँ

इस तरीके में खामियाँ भी हैं जैसा कि हर तरीके में होती हैं। शुरू में जरूर कुछ गडबड रहती है लेकिन ज्यों ज्यों बच्चे आगे बढ़ते है उन में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता जाता है और वह निर्धारित समय के अन्दर तमाम विषयों के गृह कार्य पूरा कर लेते हैं।

2– बच्चों को छोटी उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देने से उन पर बेजा दबाव पड़ने की आंशका है। गृह–कार्य का समय समाप्त हो जाने पर अगर वह काम पूरा नहीं कर सकते हैं तो उन को अनायास परेशानी होती है जिस का उन के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है लेकिन अनुभव बताता है कि पहले दो एक गृह–कार्य के बाद यह खतरा नहीं रहता। टीचर बच्चों की कठिनाइयाँ हल करने के लिये हर समय मौजूद रहता है। उसका कर्तव्य है कि वह उन के दिमाग पर हद से ज्यादा जोर न पड़ने दे। वह बच्चा जो जिम्मेदारी से घबराता है उसे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देने की जरूरत है ताकि वह अपनी जन्मजात क्षमताओं से काम लेकर अपनी

कठिनाइयाँ स्वयं हल करता रहे।

3– यह स्वाभाविक है कि वह लोग जिन्हें अपने विद्यार्थी जीवन का जमाना याद है यह आपत्ति जताते हैं कि "कामचोर" के लिये यह प्लान एक बड़ा वरदान है लेकिन यह इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि "कामचोर" के लिए एक छोटा सा "रोज हिसाब" गृह–कार्यों के अन्त पर आता है। यद्यपि प्रत्येक विद्यार्थी को अपना समय अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने का अवसर मिलता हैं। लेकिन टीचर की नजर उस पर हमेशा रहती है और वह ख्याल रखता है कि हर बच्चा दिये हुए काम को निर्धारित समय में पूरा करे। अनुभव बताता है कि आजादी की नेमत बच्चों को इतनी प्रिय है कि वह इस की इतनी कद्र करते हैं कि वह इस का मौका बहुत कम आने देते हैं कि टीचर को उन के काम में दखल दने की जरूरत पड़े।

4– डाल्टन प्लान के पक्षधर भी एक कठिनाई को माने बिना नहीं रह सकते, वह है उपयुक्त किताबों की कमी। मौजूदा किताबें इस प्लान के लिये मुनासिब नहीं हैं। असल में किताबें दो प्रकार की होती हैं एक तो वह जो विषय की विषय वस्तु की तार्किक क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए लिखी जा जाती हैं, और दूसरी वह जिन की तरतीब बच्चे के मनोविज्ञान के अनुरूप होती हैं। इन्हें "तार्किक" और "मनोवैज्ञानिक" शब्दावली दी गयी है। वह किताबें जो तार्किक हैं पढ़ने वाले के लेहाज से नहीं बल्कि विषय वस्तु की विधिवत क्रमबद्धता को ध्यान में रख कर लिखी जाती हैं और मनोवैज्ञानिक किस्म की किताबें सीखने वाले के दृष्टि कोण से लिखी जाती हैं, यह समझ कर कि वह स्वयं उन्हें पढ़ेगा। अक्सर इन में बच्चों को सम्बोधित किया जाता है। और इन के अध्ययन के लिये शिक्षक की मदद कुछ ज्यादा जरूरी नहीं समझी जाती। इस किस्म की कुछ किताबें डाल्टन प्लान के लिये उचित हो सकती हैं लेकिन वह काफी तादाद में मौजूद नहीं हैं। असल जरूरत इस बात की है कि खालिस इस प्लान के लिये किताबों की एक सिरीज लिखी जाये। विषय वस्तु को एक क्रमबद्धता के साथ क्रमबद्ध किया जाये। गृह–कार्य के लेहाज से इस के टुकडे किये जायें। अंग्रेजी भाषा में इस किस्म के कुछ लिट्रेचर मौजूद हैं, लेकिन हिन्दुस्तानी भाषा में बिल्कुल नहीं मिलते, इस की वजह यह है कि वास्तव में अभी तक यहाँ इस के महत्व को ही नहीं समझा गया है।

कठिनाइयां

कक्षा शिक्षण की खराबियाँ दूर करने में यह अभियान सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन इस के विकास की राह में कुछ कठिनाइयाँ हैं।

1– सब से पहली कठिनाई शिक्षको की रूढ़वादिता है हम अपनी शिक्षण पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन पसन्द नहीं करते। अभिभावक और राज्य भी हमारे इस रूझान को बनाये रखने में सहायक हैं। लगभग सभी यह चाहते हैं कि टीचिंग के बारे में कोई फर्क न आये। क्योंकि इस से नुकसान का खतरा नजर आता है। अकसरियत उस रास्ते पर चलना चाहती है जिस में सब से कम रूकावट हो और जाहिर है ऐसा रास्ता वही हो सकता है जिस से हम हजारों बार गुजरते हैं और प्रतिदिन गुजरते रहते हैं।

2– दूसरा कारण यह भी है कि टीचर्स को पढ़ाने में कक्षा–शिक्षण के तरीके से एक खास लगाव सा हो गया है। क्लास टीचिंग में टीचर की स्वाभिमान की भावना की तुष्टि होती है वह यहा महसूस करता है के क्लास के तमाम बच्चे उसकी बात को श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं।

3– तीसरा कारण कुछ अधिक सटीक है जिसका उल्लेख ऊपर भी हुआ है कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मात्र कक्षा–शिक्षण का तरीका ही कायमाव हो सकता है। हमारे काम के कुछ हिस्से बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ हिस्से सामाजिक आवश्यकता से । इस कारण कक्षा को पढ़ाने में कक्षा–शिक्षण की विधि से पहले के मुकाबले में कम काम लिया जायेगा।

प्रयोग की शर्तें

प्राथमिक विद्यालय के अन्तिम तीन चार दर्जों में इस तरीके को

शेष पृष्ठ 6

मौजूदा और आने वाली नस्ल की फिक्र कीजिये!

- शमसुल हक नदवी

"किस्स

ा कहानी की जबान में घर के अन्दर तीन चार साल की ही उम्र से बच्चों के जेहनों में यह बात उतारने की फिक्र करें कि हमारा पैदा करने वाला, मारने, जिलाने और खिलाने पिलाने वाला सिर्फ अल्लाह तआला है, और वही सारी दुनिया का मालिक और उस पर हुक्म चलाने वाला है। उस के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर और नबी हैं। कायनात के बनाने वाले ने अपनी किताब कुरआन मजीद उन्हीं पर उतारी है। इस किताब की हर बात पक्की और सच्ची है। इस में जर्रः बराबर शक व शुब्ह नहीं। इस के खिलाफ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी से हट कर दीन व अकीदः के तौर पर स्कूलों में जो कुछ बताया और सिखाया जाता है सब झूठ और गलत है। हर इन्सान को मरने के बाद कयामत के दिन फिर जीना और अपने पैदा करने वाले के सामने हाजिर होना है और अपने अच्छे या बुरे काम का हिसाब देना है। अगर किताब और नबी (सल्ल0) की बताई हुई बातों के खिलाफ काम कर के गया है तो उस को आग में डाल दिया जायेगा और उस समय कोई देवी, देवता, नेता और लीडर कुछ मदद न कर सकेगा। लिहाजा ऐ बच्चों! तुम को तुम्हारे स्कूल में इस के खिलाफ कोई बात बताई जाये तो कभी उस पर यकीन न करना, बस पढ़ने लिखने ही पर मेहनत करना जिसका इस दुनिया के लिये सीखना भी जरूरी है ताकि तुम इस से अच्छी जिन्दगी गुजार सको, और दूसरे इन्सानों को फायदा भी पहुंचा सको कि यह हमारे पैदा करने वाले मालिक को बहुत पसन्द है, और आने वाली दुनिया में इस का बहुत फायदा पहुँचेगा, और यहाँ दुनिया में लोग तुम से मुहब्बत करेंगे।"

❑❑

कुरआन की शिक्षा

हुकमा (बुद्धजीवियों) व सलातीन कलाम में ऐसी मिसालें वकसरत मौजूद हैं। इसके खिलाफ कुपफार की हिमाकत और इनाद (शत्रुता) की बात है "फमा फौकहा" के मअना (अर्थ) यह भी हो सकते हैं कि मच्छर से हिकारत (तुच्छता) और छोटाई में जियादा। जैसे मच्छर के बाजू (पर) कि बाज अहादीस में इस को दुन्या की मिसाल में जिक्र फरमाया है।

4– यानी ईमान वाले तो इन मिसालों को हक और मुफीद कहते हैं और कुफ्फार बतौर तहकीर कहते है कि ऐसी हकीर मिसालों से खुदा की मुराद क्या होगी? जवाब दिया गया कि इस कलाम सरापा हिदायत से बहुतेरों को गुमराही में डालना और बहुतेरो को राहेरास्त दिखाना मंजूर है। यानी अहले हक और अहले बातिल में तमीजे ताम (पूर्ण अंतर) मंजूर है जो निहायत मुफीद और जरूरी है।

5– जैसे कतअे रहिम करना और अंबिया, उलमा, वाअिजीन, मोमिनीन और नमाज और दीगर जुमला उमूरे खैर से मुंह मोड़ना।

6– फसाद से मुराद है लोगों को ईमान से नफरत दिलाते थे और इस्लाम के दुश्मनों को वरगला कर मुसलमानों के मुकाबले पर लाते थे और हजरते सहाबा और उम्मत के नेक लोगों के उयूब निकाल कर उन को फैलाते थे ताकि आप (सल्ल0) के दीने इस्लाम की वकअत (सम्मान) जेहनों से निकल जाए, और वह मुसलमानों के भेद मुखालिफो में पहुँचाते थे, और तरह–तरह की रूसूम व बिदआत खिलाफ तरीक़–ए–इस्लाम फैलाने की कोशिश करते थे।

7– मतलब यह है कि

इन हरकाते ना शाइस्ता से अपना ही कुछ खोते हैं। इस्लाम की या उम्मत के नेक लोगों की तौहीन कुछ भी न हो सकेगी।

❑❑

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

- मुफ्ती जफर आलम नदवी

प्रश्न :– टेस्ट के लिए जो खून बदन से बज़रिया इन्जेक्शन निकाला जाता है क्या इस से वुज़ु टूट जाएगा या नहीं?

उत्तर :– जिस्म से अगर खून बाहर आए और इतनी मिक्दार में आए कि वह बहने की पोजीशन में न हो तो उस से वुजू टुट जाएगा अगर इतनी मिक्दार न हो कि बह सके तो उससे वुजु नहीं टूटेगा साहिबे हिदाया ने इमाम दारे कुतनी की रिवायत नकल की है कि बहता हुआ खून निकलने से वुजू वाजिब है।

प्रश्न :– अगर किसी का हाथ कट जाए और उस की जगह प्लास्टिक का हाथ लगा हो तो वुजू में उस हाथ को धोना पड़ेगा या नहीं?

उत्तर :– प्लास्टिक के हाथ का धोना वाजिब नहीं है, क्यों कि यह असली हाथ के हुक्म में नहीं है, हाँ अगर हाथ का कुछ हिस्सा बाकी हो तो उस को धोना जरूरी है। फुक्हा ने पांव के बारे में लिखा है कि अगर उस का कुछ हिस्सा बाकी हो ख्वाह उंगलियों की मिक्दार से कम हो उस का धोना वाजिब हैं जाहिर सी बात है जब पाँव का यह हुक्म है तो हाथ का भी यही हुक्म होगा।

प्रश्न :– क्या मुअज्जिन ही इकामत कह सकता है, अगर दूसरा शख्स इकामत कह दे तो क्या इस में कोई हरज है?

उत्तर :– इकामत कहना मुअज्जिन का हक है, अगर मुअज्जिन खुद ही इकामत कहना चाहे तो यह हक उन्हीं को मिलेगा, हाँ अगर उन्होंने खुद ही दूसरे को यह हक मुनतकिल कर दिया तो दूसरा शख्स भी कह सकता है,

इमाम तिर्मिजी ने अपनी किताब जामे तिर्मिजी में यह रिवायत नकल की है कि एक बार हज़रत जियाद बिन हारिस सदाई ने अजान दी और हज़रत बिलाल ने इकामत कहना चाहा तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि "तुम्हारे भाई सदाअ ने अजान दी है और जो अजान दे, वही इकामत भी कहे।

इस रिवायत से मालूम हुआ कि इकामत कहना मुअज्जिन का हक है अलबत्ता अगर वह किसी वजह से दूसरे को इकामत कहने की इजाजत दे दे या उस की रजामन्दी में दूसरा शख्स इकामत कहे तो इस में कोई कबाहत नहीं है, रिवायतों में इस तरह की भी सूरतें मिलती हैं।

इमाम अबूदाऊद ने इस उनवान से एक बाब भी बांधा है कि एक आदमी अजान कहे और दूसरा इकामत कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में बिलाल से अजान दिलवाई है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद से इकामत कहलावाई।

प्रश्न :– दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है उस की वजह से जैद ने एक फ्लैट अपने बच्चों के लिए खरीद लिया है ताकि बड़े होकर वह उस में रिहाइश इख्तियार करें, अन्दाजा यही है कि तकरीबन पाँच साल उस फ्लैट में रहना नहीं है और न किराये पर देना है, यह फ्लैट तकरीबन छः लाख रुपये में खरीदा ग़या है, यह अभी जरूरत में रिहाइश के लिए लिया है क्या इस की मालियत पर ज़कात वाजिब है?

उत्तर :– जो फ्लैट रिहाइश की नियत से खरीदा गया हो अगरचह इसमें अभी रिहाइश इख्तियार करने का इरादा न हो बल्कि मुस्तक्बिल में बच्चों के लिए लिया गया हो तो उस में जकात वाजिब नहीं होगी, फुकहा ने सराहत की है कि रिहाइशी मकानात में जकात वाजिब नहीं है।

प्रश्न :– अगर मस्जिद में दीवार पर घड़ी लटकी हो और दौराने नमाज नमाजी की नज़र घड़ी पर पड़े और वह टाइम जान ले तो उस से नमाज पर कोई असर पड़ेगा क्या नमाज फासिद तो नही होगी?

उत्तर :– दौराने नमाज बिला इरादा नज़र अगर घड़ी पर पड़ी और वक्त मालूम हो गया तो फुकहा

का मुफ्ता बिही कौल यह है कि नमाज फासिद नहीं होगी, हाँ! इरादे के साथ घड़ी देखना मकरूह है क्यों कि हर वह अमल जो नमाज से वतज्जुह हटादे मकरूह है, इसी तरह अगर जबान से वक्त को पढ़ा तो नमाज फासिद हो जाएगी।

प्रश्न :– एक शख्स को अपनी लड़की की शादी में रकम की जरूरत पड़ी, उस ने दूसरे शख्स से पचास हजार रूपये बतौर कर्ज लिए और अपनी बीवी के तमाम जेवरात बतौर रहन उनके पास रख दिए, तीन साल बाद कर्ज अदा करके जेवरात वापस लिए सवाल यह है कि इन तीन सालों की जकात उन जेवरात में वाजिब होगी या नहीं?

उत्तर :– यह जेवरात अगरचह बकदर निसाब हों फिर भी रहन में रहने की वजह से उन पर जकात नहीं होगी। न राहिन (जिस ने अपने जेवरात रहन पर रखे) पर और न मुरतहिन (जिस के पास रहन रखा गया) पर, अल्लामा शामी ने सराहत की है कि जिन असबाब की वजह से जकात वाजिब नहीं होती है उन में रहन भी है।

प्रश्न :– एक लड़की का निकाह हो गया है अभी वह तालीम हासिल कर रही है अभी उस की रुख्सती नहीं हुई है उस लड़की का नान व नफ्का और तालीमी खर्च किस के जिम्मे होगा? शौहर के या बाप के?

उत्तर :– निकाह के बाद बीवी का नफ्का शौहर पर उस वक्त होता है जब बीवी शौहर के हवाले हो जाए। चूंकि अभी बीवी अपने बाप के घर में है इस लिये उस का नान व नफ्का और दूसरे सारे खर्च बाप के जिम्मे होंगे, शौहर के जिम्मे न होंगे। (अलबहरुर्राइक, 3:173)

प्रश्न :– जिस औरत को तलाक हो गई हो उस का नफ्का शौहर के जिम्मे है या औरत के मैके वालो पर?

उत्तर :– तलाक पाई हुई औरत की इददत का खर्च (नफ्का) शौहर पर होगा उसके बाद उस का खर्च उसके मैके के करीबी रिश्तेदार (वली) पर होगा। (रददुलमुहतार, 5:333)

प्रश्न :– एक औरत शौहर के जुल्म से तंग आकर मैके में रह रही है और खौफे जुल्म से शौहर के पास जाना नहीं चाहती है वहीं से नफ्के का मुतालबा कर रही है तो क्या उसे शौहर की तरफ से नफका मिलेगा? या नहीं?

उत्तर :– औरत जब शौहर के जुल्म के सबब मैके में रह रही है तो यह एक उज्र है, ऐसी सूरत में बीवी नाशिजा (नाफरमान) न कहलाएगी इस लिये उसे नफ्के का हक है और शौहर पर लाजिम है कि वह बीवी को नफ्का दे और जुल्म से बाज आए और उसे हुस्ने मुआशरत का यकीन दिला कर अपने घर बुला ले और हुक्मे इलाही "व आशिरूहुन्न बिलमअरूफ" (और बीवियों के साथ बेहतर तरीके से जिन्दगी गुजारो) पर अमल करे।

प्रश्न :– विलादत के मौके से हास्पिटल में जो इखराजात होते हैं वह किस के जिम्मे होंगे बीवी के या शौहर के? अगर बीवी के वालिदैन ने अपनी जेब से वहाँ कुछ खर्च किया तो वह अपने दामाद से उस का मुतालबा कर सकते है या नहीं?

उत्तर :– विलादत के मौके पर जो भी इखराजात होगे वह शौहर के जिम्मे होंगे अगर वालिदैन ने अपनी बेटी पर उस के शौहर की इजाजत के बगैर खर्च किया तो यह उनकी तरफ से तबर्रुअ (एहसान) समझा जाएगा और उन्हें अपने दामाद से वसूल करने का हक न होगा अलबत्ता अगर दामाद की इजाजत से खर्च किया है तो उन्हें वसूल करने का हक होगा।

(रददुलमुहतार, 5:292)

प्रश्न :– दौराने हमल अगर औरत शौहर की इजाजत से अपने मैके में रहे और वहाँ चेक अप कराने की जरूरत हो तो डाक्टर की फीस और हमल की हिफाजत, नीज बच्चे की अच्छी नश्व नुमा (बाढ़) के लिये दवाओ का खर्च किस पर वाजिब है?

उत्तर :– औरत जब शौहर की इजाजत से हमल की हालत में मैके में है तो उस के सभी खर्चे डॉक्टर की फीस, दवाओं वगैरह के शौहर पर वाजिब होंगे।

(रददुलमुहतार, 5:289)

प्रश्न :– मियाँ बीवी में लड़ाई हो और बीवी मैके चली जाए और शौहर के बार–बार बुलाने पर न

आए तो उसका खर्चा किस के जिम्मे होगा? क्या शौहर पर ऐसी औरत का नफ्का देना वाजिब होगा?

उत्तर :– अगर बीवी शौहर की इजाजत के बगैर मैके चली गई है और शौहर के बुलाने पर भी नहीं आ रही है तो वह शौहर से नफ्के की हकदार नही है वह नाशिजा होने के सबब तमाम हुकूके जौजीयत से महरूम रहेगी।

(हिदाय:, 2:438)

प्रश्न :– एक औरत शौहर की इजाजत के बगैर एक स्कूल में पढ़ा रही है और शौहर के रोकने पर भी वह स्कूल चली जाती है और शाम को आती है क्या शौहर पर ऐसी औरत का नफ्का लाजिम है?

उत्तर :– शौहर के रोकने पर भी बीवी स्कूल पढ़ाने चली जाती है तो वह शौहर पर उस का नफ्का पाने का हक नहीं रखती शौहर पर उसका नफ्का लाजिम नहीं।

(दुर्रेमुख्तार, 2:891)

प्रश्न : शराब वगैरह के नशे की हालत में दी गयी तलाक से तो तलाक हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने किसी ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जो नशाआवर थी और उसी हालत में उसने तलाक दे दी, तो क्या हुक्म है? तलाक के लिए क्या बीवी का मोजूद रहना जरूरी है या फोन–ईमेल वगैरह पर भी तलाक दी जा सकती है?

उत्तर : अगर किसी आदमी ने यह जाने बिना किसी नशीली चीज का इस्तेमाल कर लिया कि उससे नशा होता है फिर उसे नशा चढ़ गया और उसके होश व हवास जाते रहे, इसी हालत में उसने तलाक दे दी, तो याह तलाक नहीं होगी। अब्दुल अजीज तिर्मिजी लिखते हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफा (रह0) और सुफियान सौरी से भंग पीने वालों के बारे में पूछा, जिसके दिमाग तक उसका असर पहुँच जाए और वह अपनी बीवी को तलाक दे दे। उन हजरात ने जवाब दिया कि उसने अगर यह जानने के बावजूद पिया कि वह क्या है और उसका क्या असर होता है, तो तलाक हो जाएगी और अगर वह उसे जानता ही नहीं था तो तलाक नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी दवा के इस्तेमाल से उसकी अक्ल चली गयी तो भी तलाक नहीं होगी। इसी तरह इगर किसी दवा के इस्तेमाल से उसकी अक्ल चली गयो तो भी तलाक नहीं होगी। इससे उन दवाओं के बाद नशे की हालत में तलाक देने का हुक्म मालूम हो गया, जिनमें अल्कोहल होता है।

इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीजों का भी मामला है। जब बी0पी0 बढ़ता है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर वाकई कोई आदमी बीमारी के कारण मानसिक संतुलन से वंचित हो जाए और योग्य एवं विश्वास पात्र डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दें तो ऐसी हालत में दी ग तलाक नहीं होगी।

तलाक के लिए बीवी का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। वह जब भी और जहाँ से भी अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज कह दे या लिख दे, तलाक हो जाएगी। इस लिए कोई व्यक्ति टेलीफोन या ईमेल से भी अगर तलाक दे दे तो तलाक हो जाएगी। लेकिन फोन या ई मेल की तलाक को साबित नहीं किया जा सकता है। बाद में अगर शौहर इन्कार कर दे कि उसने फोन नहीं किया था या उसने ईमेल नहीं भेजा था, तो तलाक नहीं होगी। इसलिए कि शौहर के मोबाइल फोन या ईमेल आई0डी0 का इस्तेमाल करना किसी दूसरे के लिए नामुमकिन नहीं है। यह किसी तरह साबित नहीं किया जा सकता है कि शौहर के मोबाइल फोन से जो काल आयी थी वह उसी की थी या ईमेल उसी ने भेजा था।

अगर कोई आदमी इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर तलाक देने के बाद मुकर जाए तो अल्लाह के यहाँ झूठ और व्यक्ति दोनों का गुनहगार ठहरेगा। हाँ अगर उसे फोन करते समय या ईमेल भेजते समय दो मर्दों या एक मर्द और दो औरतों ने देखा हो और वह गवाही दे दें तो तलाक हो जाएगी।

(जदीद फिक्ही मसाइल, 1 से)

❑❑

अमजदी बेगम

बेगम मौलाना मुहम्मद अली जौहर

- डॉ0 आबिदा समीउद्दीन

अमजदी बेगम प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मुहम्मद अली जौहर की पत्नी थीं। उनका संबंध रामपुर के एक हैसियतदार एवं प्रतिष्ठित परिवार से था। घर में दीनी और मजहबी किताबों का भंडार होने के कारण मजहब का अध्ययन बहुत गहरा था। मौलाना मुहम्मद अली जौहर से शादी के बाद सरासर उन्हीं के रंग में रंग गयीं। स्वभाव अत्यधिक संतोष भाव से भरा हुआ था। मौलाना की फकीराना और कलन्दराना जिन्दगी भी अपनायी और राजनीतिक विचार भी।

ब्रिटिश साम्राज्य से टकराते रहने के कारण परिवार की आर्थिक विपदा का बी अम्मा (मुहम्मद अली की माँ) के उस पत्र से भली–भांति अंदाजा लगाया जा सकता है जो उन्होंने मौलाना की नजरबन्दी के दौरान हफ्ता नजरबंदी इस्लाम के सिलसिले में मिस्टर ताजुद्दीन को लिखा था।

"हमारे नजरबन्दों में एक भी ऐसा नहीं जिसकी माली (आर्थिक) हालत इस नजरबंदी में खराब न हो गयी हो जिसको बार–बार की याददेहानी के बावजूद हुकूमत की तरफ से खाने–पीने की चीजों के लिए भी काफी रकम मिलती हो, अलावा रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के माली नुकसानात का मुआवजा तो हुकूमत ने एक को भी नहीं दिया। शौकत और मुहम्मद की हजारों की आदमनी यकबारगी रुक गयी और घर से पन्द्रह हजार रुपये सालाना तीन बरस से देना पड़ रहा है। एक कर्ज देने वाले ने शौकत पर बारह–तेरह हजार की नालिश कर दी है और दूसरा एक सिख नालिश की नोटिस दे चुका है। रुई का कारखाना तीन साल से बन्द पड़ा है और उसको चलाने के लिए रामपुर आरजी तौर पर भी जाने की इजाजत नहीं मिलती। मुहम्मद का प्रेस भी बंद है। हजारों का खानगी और दफ्तर का सामान पचीस तीस हजार रुपये का बाकी है। वह जंग, गर्द और कीड़ों की नज्र (भेंट) हो रहा है.... नजरबन्दों में शायद सबसे बड़ी रकम हुकूमत शौकत और मुहम्मद को देती है। मगर हुकूमत ने खुद अपने तर्जे अमल से यह साबित कर दिया है कि जो रकम एक अर्से तक उन्हें देती रही वह उनकी जिन्दगी की जरूरतों को आधा भी पूरा न कर सकती थी।"

(अखबार जम्हूर, कलकत्ता, एडिटर काजी अब्दुल गफ्फार 15 जुलाई 1918 ई0)

मौलाना मुहम्मद अली और अमजदी बेगम के अति सुन्दर आपसी संबंधों के चलते ही मोलाना का संघर्ष पूर्ण लंबा जीवन कारावास की विपदा हंसी–खुशी झेलते गुजर गया मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं "मियाँ बीवी में मेल–मुहब्बत शुरू ही से था आखिर उम्र में तो कहना चाहिए इश्क की कैफियत थी। इश्क ऐसा नहीं जिसमें शोरिश सोजिश हो और जो तमामतर जवानी की पैदावार होता है बल्कि ऐसा इश्क जिसमें ठंडक और सुकून होता है और अरबी में उसके लिए लफ्ज उन्स होता है।

(अब्दुल माजिद दरियाबादी– मुहम्मद अली की जाती डायरी के चन्द अवराक, पेज 369)

मौलाना ने उनकी कौमी जिन्दगी की शुरुआत के बारे में लिखा है, "अमजदी बेगम हर सम्मेलन, हर यात्रा, व खिलाफत कान्फ्रेस में मौलाना के साथ शरीक रहतीं और बराबर सम्मलेनों तथा दूसरी कार्रवाइयों में भाग लेतीं। उन्हेंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जिसके सम्मलेन 24,25, 27,28 दिसम्बर 1921 ई0 अहमदाबाद में हुए यू0पी0 के प्रतिनिधि की हैसियत से शिर्कत की।"

(A.M.S.G. Zaidi, Encyclopaedia of INC Vol. VIII. 1921-24 p.60)

गांधी जी के अखबार, "यंग इंडिया के अध्ययन से यह बात भली भांति स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस का सत्याग्रह आन्दोलन और खिलाफत फंड के लिए बी अम्मा और आमजदी बेगम ने अपने स्रोतों से करोडों का चन्दा जमा किया।

उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन जिसे खिलाफत कमेटी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से मंजूर किया था। इसके उद्देश्य अंग्रेजी सामग्रियों का बायकाट, शराब की दुकानों पर पिकटिंग, फौजी भरती हराम, अंग्रेजी नौकरियों से इस्तिफा को सफल बनाने में असाधारण प्रभावित सिद्ध हुआ। गांधी जी को जनता से परीचित कराने और उनके दूर–दराज के खर्चों का बोझ उठाने में खिलाफत आन्दोलन के रजाकारों और मौलाना मुहम्मद अली के परिवार की औरतों द्वारा एकत्र किये गये चन्दों की महत्पवपूर्ण भूमिका को नरजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी कारण जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मेलकम हेली मेम्बर होम ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में मौलाना मुहम्मद अली के अपराध गिनाते हुए कहा कि इनके घर की औरतें तक चन्दा जमा करती और विद्रोह करती रहती हैं।"

अमजदी बेगम की कौमी जिन्दगी की शुरुआत के बारे में मौलाना मुहम्मद अली ने लिखा है कि, "उनके अनगिनत जेल के सफर इस बात के सुबूत बने कि आजादी के जो कुछ क्षण उनकी संगत में गुजरे उन्हें मूल्यवान जान कर एक पल भी अकारत न किया जाए।" मैं कह सकता हूँ कि उसने काफी लंबा सफर किया है और पब्लिक के खर्च पर किया है क्योंकि हुआ यह है कि जब उसने मेरे साथ सफर करना शुरू किया तो उसे मेरा ख्वाहमख्वाह का परिशिष्ट बनना अप्रिय गुजरा। और चूंकि वह मुझ से कहीं अधिक अच्छा हिसाब–किताब रखने वाली थी और कम से कम अपने औरतों के ग्रुप में निस्संदेह वे अच्छी प्रबंधिका भी थी इसलिए उन्होंने भारतीय नारियों में बड़ी सक्रियता के साथ प्रोपगंडा करना शुरू कर दिया और खिलाफत फंड में इतनी रकमें जमा कर ली कि प्रबंधकों ने उन्हें अपनी ओर से सफर करने का अनुरोध किया। अतः हमने कई माह इस तरह एक जगह से दूसरी जगह और एक सूबे से दूसरे सूबे में सफर करते इकटठे गुजारे। हम महात्मा गांधी और अपने साथी कार्यकर्ताओं तथा सेक्रेट्रियों की एक छोटी–सी जमाअत के साथ सफर कर रहे थे कि 14 सितम्बर 1921 को वाल्टेर रेलवे स्टेशन पर जब कि हम मद्रास और मालाबार के उपद्रवग्रस्त इलाके की तरफ जा रहे थे, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय हम फिर एक दूसरे से अलग हो गये लेकिन यह बात मेरे लिए संतोषप्रद है जिसमें कि कुछ मेरा आश्चर्य एवं हैरत भी शामिल है कि अब मेरी पत्नी भी सफर कर रही है और वह भी पब्लिक खर्च पर।"

इस गिरफ्तारी की कहानी का गांधी जी ने विभिन्न अवसरों पर उल्लेख किया है और अमजदी बेगम की संकल्पशक्ति की भी जगह–जगह प्रशंसा की है।

22 सितम्बर 1921 ई0 के यंग इंडिया में गांधी जी ने उस गिरफ्तारी का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा, "मौलाना मुहमद अली की गिरफ्तारी उस समय हुई जब हम मद्रास के लिए सफर में थे। मैं ट्रेन से ही इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ। वाल्टेर स्टेशन पर ट्रेन 25 मिनट से भी अधिक देर तक रुकी। मौलाना मुहम्मद अली और मैं ट्रेन से उतर कर एक सभा को संबोधित करने कुछ कदम चले ही थे कि मैंने मौलाना को जोर–जोर से वह नोटिस पढ़ते हुए सुना जो उन्हें उसी समय दिया गया था। मैं उनसे कुछ कदम आगे था। इस गिरफ्तारी के लिए दो गोरे और आधा दर्जन भारतीय सिपाहियों की पार्टी तैनात की गयी थी। अफसर इंजार्च मौलाना को वह नोटिस समाप्त करने से पहले ही बाजू पकड़ कर ले गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ हिला कर खुदा हाफिज कहा, मैं मतलब समझ गया। अब इस ध्वज को अकेले ही ऊँचा रखना है। ईश्वर मुझे उस साथी के मिशन को पूरा करने की क्षमता प्रदान करे जिसके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। मैंने सभा को संबोधित किया और जनता को शांत रहने तथा कांग्रेस का प्रोग्राम सफल बनाने पर उभारा। बाद में मुड़ कर मैं उस जगह पर गया जहाँ मौलाना को हिरासत में रखा गया था और उनसे मिलने की अनुमति चाही, जवाब मिला कि केवल उनकी बेगम और सेक्रेट्री को अनुमति है।"

(Collected works of Mahatma Gandhi Ministry of information Gov. of India, Vol. XXI p.176)

इसी सिलसिले में 25 सितम्बर 1921 ई0 के 'फौजियों'में भी अमजदी बेगम के जबरदस्त सब्र, धैर्य और त्याग भाव की प्रसंशा में उन्होंने लिखा–

"मुझे बेगम साहिबा मुहम्मद अली के साहस पर असाधारण आश्चर्य है जब वे मौलाना से मिल कर वाल्टेर स्टेशन पर वापस हुईं तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके मन में किसी प्रकार का कोई भय तो नहीं? उन्होने तुरंत उत्तर दिया, कदापि नहीं", मेरे पति ने अपना दायित्व पूरा करने से अधिक कुछ नहीं किया। इस गिरफ्तारी के बाद भी वे उसी साहस और हिम्मत के साथ मेरे साथ सफर करती रहीं।..... नकाब पहने वे ज़नाने और मर्दाने सभी सभाओं में शिर्कत करती हैं और छोटा–सा भाषण भी करती हैं जिसका असर सीधे जनता के दिलों पर होता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से खादी पहनने, चर्खा कातने और मुसलमानों से समरना फंड में चंदा देने की अपील भी की है। कुछ ही समय पहले उनका जीवन एक सुख–सुविधा का जीवन, सुन्दर एवं कोमल परिधान उनका पसन्दीदा पहनावा था किन्तु अब वे मोटी खादी का हरा नकाब पहनती हैं जबकि एक मुस्लिम महिला को अपनी हिन्दू बहन की तुलना में कपडे भी अधिक पहनने होते हैं और बेगम साहिबा का शरीर भी कुछ हल्का फुल्का नहीं है। किन्तु वे इन सभी कष्टों को देश और धर्म की खातिर हंसी खुशी सहन कर रही हैं। मद्रास में मैंने अनुभव किया कि मुस्लिम महिलाओं के सफेद मोटे पहनावे में एक तरह की पाकीजगी और श्रद्धा झलकती है। हिन्दू महिलाओं के रंग बिरंगे परिधान मुझे मौजूदा हालात में पसन्द नहीं आये।।" गांधीजी

(उक्त, पृ0 205)

राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की सेवाओं के उल्लेख में 29 नवम्बर 1921 ई0 के यंग इंडिया में गांधी जी ने अमजदी बेगम के लिए '"एक साहसी महिला" के शीर्षक से विशेष रूप से लिखा :

"बेगम मुहम्मद अली के साथ काम करते हुए मुझे जो अनुभव हुए हैं मैं अपने पाठकों को भी उसमें शरीक करना चाहता हूँ। पिछले वर्ष उन्होंने पब्लिक कामों में अपने पति की सहायता करना आरंभ किया। शुरुआत समरना फंड के लिए चंदा करने से हुई। तब से वे हमारे लंबे दुष्कर बिहार, असम, बंगाल के सफर में भी शरीक रहीं। उन्होंने महिलाओं की सभाओं से भी संबोधन शुरू कर दिया है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि उनमें भाषण करने की योग्यता अपने साहसी पति से किसी भी तरह कम नहीं। उनके भाषण छोटे होने के बावजूद अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। मैं कह नहीं सकता कि वे अपने पति को भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की यह कला सिखा सकती हैं या नही? उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तथा उसमें सफल होने का समय उस समय आया जब उनके पति को स्टेशन पर उनसे छीन लिया गया। मैंने उन्हें उस समय देखा है जब वे उस कमरे से निकलीं जहां उनके पति को हिरासत में रखा गया था। वे स्टेशन की ओर जमे हुए कदमों से चल रही थीं और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अपने पति की गिरफ्तारी के कारण खुश है? उनका शीघ्र उत्तर था निश्चय ही, वे अपने मुल्क और मिल्लत की खातिर जेल गये हैं" हमने अपना मद्रास का सफर जारी रखा। समुद्र के तट पर जबरदस्त जनसभा हुई। श्रोतागण उस समय तक उनसे परिचित नहीं थे। उन्होंनें ऊँची आवाज में बिना किसी लड़खड़ाहट के सुन्दर हिन्दुस्तानी भाषा में जनता को संबोधित किया और मैं यह महसूस किये बगैर न रह सका कि वे वास्तव में साहसी पति की साहसी पत्नी हैं।" (उक्त, पृ0 218,219)

जेल के कष्टदायक जीवन और प्रिय जीवन सभा से जुदाई के क्षण में मौलाना के लिए कौमी जिन्दगी में अमजदी बेगम की शिर्कत और आजमाइश में उनका जमा रहना न केवल अत्यधिक हर्षदायक था बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प का उत्प्रेरक भी था।

"हममें और तुममें हुए महबस ओजिन्दा हाइल आओ रूया में करें अपनी तमन्ना हासिल"

कराची जेल से 18 अक्टूबर 1921 ई0 को गाँधी जी के नाम एक पत्र में मौलाना मुहम्मद अली ने उन्हें शुक्रिये के तौर पर लिखा :

"प्यारे बापू! एक अर्से से तबीयत का तकाजा था कि अब आपको कुछ लिखू लेकिन कई वजहों से ताखीर होती रही लेकिन जब अखबारों में आपकी कलम से निकली हुई कुछ तहरीरें मेरे बीवी की तारीफ में उन कारवाईयों के मुतअल्लिक जो वे वाल्टेर से मेरी गिफ्तारी के बाद करती रही हैं, पढ़ी! अब तो मुझे मजबूरन आपको अरीजा लिखना पड़ा गालिबन मैंने आप से एक बार कहा था कि हम मियाँ–बीवी में शादी से पहले ही इश्क और मुहब्बत की तड़प पैदा हो गयी थी और यह हिन्दुस्तान में एक गैर मामूली बात है लेकिन हमारी पारिवारिक जिन्दगी के बाद हम एक दूसरे से हर साल जुदा रहे। इस जुदाई ने मेरी अहलिया को पहले से भी ज्यादा मेरे लिए महबूब और अजीज शरीके जिन्दगी बना दिया। और गुजिश्ता अर्से में जब मैं नजरबंद था उस वक्त जो राह उसने इख्तियार की थी उस वक्त से 1919 ई0 तक पुरखतर जिन्दगी में थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि वह मेरी नजरों में जिस कदर अजीज और महबूब थी उससे पहले वह मेरी नजरों में आधी भी न थी। वह रेलवे पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई और निहायत फराखदिली से मुझ से कहा– "हरासाँ न होना, मेरी और मेरी बच्चियों की फिक्र न करना। मुझे अलविदा कहकर रुख्सत हो गयी और निहायत इस्तिकलाल के साथ गाडी में सवार होकर चली गयी।.....अब आप ने जो कुछ हमारी वकालत और तारीफ के बारे में तहरीर फरमाया है उनमें सबसे ज्यादा मुसर्रतबख्श मेरे लिए यह बात थी कि आप ने मेरी अजीज और जांबाज अहलिया (पत्नी) की तारीफ की है। हकीकतन मैं इस कदर मुतास्सिर हुआ हूँ कि इस रश्क–अंगेज तारीफ का भी मैं खयाल नहीं करता। मुझे तवक्को है कि यह आजमाइशी इम्तिहान भी जल्द खत्म हो जाएगा और वह जल्द से जल्द अपना काम आजादी से जारी रख सकेगी और आप से ऐसी ही रश्क–अंग्रेज दाद लेती रहेगी।"

(रईस अहमद जाफरी अली ब्रादरान, पृ0 550)

27 नवम्बर 1921 ई0 के यंग इंडिया मे इस पत्र को प्रकाशित करते हुए गांधी जी ने नोट लिखा था कि –इस पत्र के प्रकाशन के कई कारण हैं उनमें से एक कारण यह भी है कि यह ऐसा दस्तावेज है जिसमें मौलाना के अन्दर का इन्सान पूरी तरह से देखा जा सकता है।

(Collected works of Mahatma Gandhi op.p.350)

वाल्टेर स्टेशन पर गिरफ्तारी के समय अमजदी बेगम की दृढ़ता और साहसिक रवैये का प्रभाव कितना गहरा और मौलाना को इस पर कितना गर्व था, इसकी अभिव्यक्ति उन्होने कराची जेल से ही लिखे गये बी अम्मा के नाम एक खत में खुलकर की है–

"मैं भी चालीस इक्तालिस साल की उम्र से, मेहमान दाखिल घर पर आया करता हूँ पहले बैतूल की कैद, फिर रिहाई होते ही इस कैद से ज्यादा लंबा देश निकाला और अलीगढ़ बम्बई और हम सफरी सब को मिला कर छह–सात महीने को छोड़ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि जून 1919 ई0 से आज तक का जमाना अलाहदगी में ही बसर हुआ और 14 सितम्बर 1921 ई0 को वाल्टेर के स्टेशन पर कैद की इब्तिदा का खयाल किया जाए तो यही गनीमत है कि अमजदी जिन्दा है और इस दुनिया में भी मुलाकात का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है वरना मुन्नी गरीब किस–किस के बच्चों को पालती। आप मेरा यह खत अमजदी को भी दिखा दें मेरे कल के रुखसती अल्फाज उसे याद दिला दें कि खुदा पर भरोसा रखो और वही वाल्टेर स्टेशन का सिपाहियाना रवैया जो अब तक कायम रखा है कायम रखो, जिसने मुझे मुतमइन कर दिया था कि खुदा की मदद शामिल है तो यह औरत मुसलमान और हिन्दुस्तानी भाईयों के सामने किसी बुजदिली के इजहार से न खुद शर्मिन्दा होगी और न अपने बहादुर भाई और अपने शेर दिल हजारों मरने वालों को शर्मिन्दा करेगी।" (अली बिरादरान, पृ 549)

"मुकदमा कराची के दौरान अमजदी बेगम कराची चली गयी थीं। मौलाना को सजा हो जाने के बाद वे वापस अलीगढ आयीं यूनीवर्सिटी तलबा ने उनके स्वागत में एक जलसा मुहम्मद अली हाल में किया। निहायत दुखे दिल से अच्छी जबान से आप ने एक दिलदोज तकरीर की। यूनिवर्सिटी

के तलबा जारो–कतार रो रहे थे, वे उनको क्या ढारस देते उल्टे बेगम साहिबा ही उनको ढारस दे रही थीं। आप ने फरमाया बच्चों! बेशक मौलाना की सजायाबी से मैं सख्त मगमूम (दुखी) हूँ लेकिन खुदावन्द कुद्दूस पर बेहद भरोसा रखती हूँ। आदमी की जिन्दगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। ठोकर लगी और आदमी मर जाता है। फांस लगती है और आदमी की जिन्दगी खत्म हो जाती है यह तो दो बरस की बात है। मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह चाहेगा तो ये दिन भी निकल जाएंगे।''

(सैयद मुहम्मद हादी–अली बिरादरान, पृ0 115)

मौलाना मुहम्मद अली जब तक जेल में रहे उनका काम जेल से बाहर उनकी माँ और पत्नी अंजाम देती रहीं, जैसा कि 1 दिसम्बर 1926 ई0 के 'हमदर्द' में मौलाना ने लिखा है–

''हमारे जेल में दाखिल होते ही हम पर बाहर की दुनिया का दरवाजा बन्द हो गया तो मेरी माँ ने एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में बुढ़ापे की लाठी को लिया, नकाब उलट कर वही काम करना शुरू किया जो हम किया करते थे। मगर जिसे हुकूमत ने खतरनाक समझ कर हमें जेल में डाल कर हम से छुड़ा दिया था। मेरी अहलिया (पत्नी) ने इससे पहले ही औरतों में, जिनका जौक और शौक मर्दों से कही बढ़कर था इस काम को शुरू किया था और वे मेरी रफीकेकार (सहचर) और रफीके–सफर बन गयी थीं।'' और. यह साथ जिन्दगी के आखिरी साँस तक बाकी रहा।

1930 ई0 में मौलाना मुहम्मद अली जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे। एक आँख नाकारा हो चुकी थी, दूसरी आँख की दृष्टि भी जवाब दे रही थी। गठिया का रोग भी हो चला था। मधुमेह के हमले बड़े जोरों से हो रहे थे। डॉक्टर पूरी तरह से आराम और इलाज का मशविरा दे रहे थे लेकिन मुजाहिद था कि मैदाने जंग के लिए मचला हुआ था। इसी सख्त बीमारी की हालत में गोलमेज कांफ्रेस में शिरकत के उद्देश्य से वे लंदन रवाना हुए। हर बार की तरह इस बार भी अमजदी बेगम इस आखिरी सफर में भी साथ–साथ रहीं। इस सफर के बारे में मौलाना ने कहा ''मैं समझता हूँ कि मेरा मजहबी फर्ज है कि इस कांफ्रेस में शरीक होऊँ और वहाँ सुल्ताने जाबिर और रिआया–ए–जाबिर दोनों के सामने हक कहकर अफजल जिहाद करूं यहाँ तक कि इस काम में मर जाऊँ, इसलिए कर्ज दाम लेकर भीख माँग कर, जिस तरह भी हो सके तीन–चार हजार दिरहम फराहम कर के अपनी अहलिया को साथ ले चलूंगा इसलिए कि वह जिन्दगी के सारे मरहलों और मंजिलों में मेरी रफीके सफर रही हैं।''

(मुहम्मद अली–जाती डायरी के चंद अवराक, भ0 2, पृ 156)

मौलाना की कड़ी बीमारी और मौत के बीच के क्षणों में अमजदी बेगम ने जो पत्र हिन्दुस्तान अपनी बेटी के नाम लिखे वे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। डॉक्टरों के बहुत कहने के बावजूद मुल्क और मिल्लत की खातिर मृत्यु शैया पर भी मौलाना मुहम्मद अली की आखिरी साँस तक निरंतर काम किये जाने की लगन इन पत्रों के आईने में अच्छी तरह देखी जा सकती है। उनके अंतिम दिनों की व्यस्तताओं का विवरण का एकमात्र स्रोत भी यही पत्र हैं।, जैसे :

492, मरटन रोट

S.W.I. 11 नवम्बर 1930 ई0

प्यारी जुहरा.... तुम्हारे अब्बा की तबीयत फिर तीन रोज से खराब है। क्योंकि यहाँ आने के बाद लोगों से मिलना–जुलना रहता है। कमजोर बहुत हो गये हैं इस वजह से थक जाते हैं। 17 से कांफ्रेंस शुरू है वहाँ जाना होता है। सुबह दस बजे वे वहाँ जाते हैं। तुम्हारे अब्बा की बीमारी ने मुझे थका दिया है। चूंकि कोई आदमी नहीं काम करने के लिए इसलिए थक जाती हूँ। खत लिखने की भी फुर्सत नहीं मिलती.....तुम्हारी वालिदा अमजदी

(रईस अहमद जाफरी–अली बिरादरान, पृ0 614) हाई पार्क होटल, नाइट्स ब्रिज लंदन 27 नवम्बर 1930 ई0

S.W.I.

.....तुम्हारे अब्बा की तबीयत अच्छी है लेकिन पैरों और रानों पर वरम बहुत ज्यादा है इस वजह से दो रोज से पलंग पर हैं, आराम कर रहे हैं (उक्त, पृ0 615)

इन पत्रों में अधिकतर लोगों से मुलाकात का उल्लेख है जिसमें बेगम

भोपाल, महाराजा अलवर, महाराजा जाम, महाराजा और महारानी बड़ौदा के नाम खास हैं।

हाई पार्क नाइट्स ब्रिज लंदन
14 दिसम्बर 1930 ई0
S.W.I.

.....इस हफ्ते तुम्हारे अब्बा पलंग पर लिख रहे हैं लेकिन जब से यहाँ आए हैं लोग बहुत आते रहते हैं और टेलीफोन पर भी बाते करते रहते हैं। ज्यादा आराम नहीं करते जैसा कि उनकी आदत है। अब चार–पाँच रोज से उस डॉक्टर का इलाज शुरू किया है जिसको महाराजा अलवर ने भेजा था.....

.....कल तुम्हारे अब्बा का फाका था, सूजन है, उसकी वजह से डॉक्टर पलंग से उठने नहीं देते। वैसे तबीयत अच्छी है। तुम दुआ किये जाओ और परेशान न हुआ करो। जिस काम के लिए आये बीमारी की हालत में उसमें कामयाबी हो और हम सब जिन्दा और सलामत खुशी–खुशी अपने घर जाएं।'' (उक्त, पृ0 616–618)

और वह मिशन क्या था जिसकी खातिर जिन्दगी और मौत की कशमकश में भी वे ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्षरत थे। मुल्क और मिल्लत की खातिर। स्वराज और राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दू–मुस्लिम एकता!

हाई पार्क, नाइट्स ब्रिज लन्दन 26 दिसम्बर 1930 ई0। प्यारी जुहरा दुआ! तुम जिन्दा और सलामत और तन्दुरुस्त रहो। तुम पर जो अपने माँ–बाप की वजह से परेशानी गुजरी होगी उसका मुझे भी अंदाजा है। लेकिन क्या किया जाए अखबार वाले नहीं मानते, लिख देते हैं, मेरी राय नहीं थी। इस खत में दिल का दौरा पड़ने के बाद की तफसील और खानदान की माली मुश्किलात का भी जिक्र है। तुम्हारे खुतूत जिसमें तुमने रुपये का लिखा था, तुम्हारे अब्बा के नाम था। वह उनको नहीं दिखा सके। सिर्फ कह दिया कि जुहरा का खत आया है, वह खैरियत से है तो रोने लगे कि अरे मेरी बेटी का नामालूम क्या हाल.होगा। साहब ने जनवरी में भोपाल से चचा को खत लिख दिया था। अगर मेरा रुपया नहीं भी था तो क्या था। मेरा रुपया जब जमा होता था और बरसों रहा तो तमाम खानदान के खर्च में आता था, और अब मुझे जरूरत है तो हजार नहीं, चार हजार नहीं, सिर्फ तीन–चार सौ रुपये का हमारा किसी को एतबार नहीं। .....मैं यहाँ से रोज देती बल्कि साहब कह रहे थे, मैंने बीमारी की वजह से नहीं भेजा कि हम परदेस में हैं, हम क्या करें।''

(उक्त, पृ0 620)

अमजदी बेगम का खत 9 जनवरी 1931 ई0 का मौलाना के देहांत के बाद का है जिसमें अत्यधिक धैर्य एवं सहनशीलता के बावजूद एक माँ ने बेटी के सामने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया है।

''प्यारी जुहरा, मैं जिन्दा हूँ लेकिन मुर्दों से बदतर मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि अब तक जिन्दा रहीं। जिसकी दुनिया को जरूरत थी वे मुझ को और तुम को तन्हा छोड़ कर चले गये। इसी का हर वक्त खौफ रहता था, वह सामने आकर रहा। मेरी भी दुआ कुबूल नहीं हुई। उनका दिल ही हिन्दुस्तान जाने को नहीं चाहता था। जब कभी जाने का नाम आता तो कहते थे मैं अभी नहीं जाऊंगा जब पूरा काम हो जाए, उसके बाद पेरिस जाऊंगा इलाज कराऊंगा और आ जाऊंगा।

....दो डॉक्टरों के साथ यहाँ के मिस्टर नहरा हैं, वे भी आये थे, मुझ से कहा कि चाय मंगाओं। चाय आयी, सब पीते रहे, मिस्टर नहरा ने कहा, आप ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया कि बेगम साहिबा से झंडा उठवाना चाहते हैं, उन्होने कहा भाई अभी हिन्दू मुसलमानों का मामला ठीक हो जाने दो। मैं ही था कि कनाडा में झंडा उठाया था और मैं ही हूँगा जो हिन्दुस्तान का झण्डा उठाऊंगा। अभी इसका मौका नहीं है..... डॉक्टर मानक ने एक रोज कहा भाई मुहम्मद अली तुम्हारी हालत एक शीशे के ग्लास की तरह है, अगर उसको एहतियात से रखा जाए तो बरसों तक रह सकता है लेकिन अगर उसको जमीन पर मार दो तो टूट जाएगा, और तुम्हारा इलाज सिवाय इलाज के कुछ नहीं, मैं तो आप को यही राय देता हूँ कि आप हिन्दुस्तान जल्द चले जाइए।'' (उक्त, पृ0 622–625)

और अंततः शीशा टूट गया। आजादी का मुजाहिद, लंदन इस संकल्प के साथ गया था कि गुलाम हिन्दुस्तान वापस नहीं होगा।

शेष पृष्ठ 38

ग़ैर मुस्लिम बनाम मुस्लिम क़ौम

एक ही प्रभू की पूजा हम अगर करते नहीं।
एक ही दरगाह पर सर आप भी रखते नहीं।।

अपना सज्दा गाह 'देवी' का अगर स्थान है।
आपके सज्दों का मरकज भी तो कब्रिस्तान है।।

अपने देवताओं की गिनती हम अगर रखते नहीं।
आप भी मुश्किल कुशाओं को तो गिन सकते नहीं।।

जितने कंकर उतने शंकर यह अगर मशहूर है।
जितने मुर्दे उतने सज्दे आप का दस्तूर है।।

अपने देवी देवता को है अगर कुछ इख्तियार।
आपके वलियों की ताकत का नहीं है कुछ शुमार।।

वक्ते मुश्किल का है नारा अपना गर बजरंग बली।
आपको देखा लगाते नार–ए–ग़ौसो अली

लेता है अवतार प्रभु अपना तो हर देश में।
आपने समझा खुदा को मुस्तफा के भेष में।।

जिस तरह से हम बजाते मन्दिरों में घंटियां।
तुरबतों पर आप को देखा बजाते तालियां।।

हम भजन करते हैं गाकर देवता की खूबियां।
आप भी कब्रों पे जाकर गाते हैं कव्वालियां।।

हम चढ़ाते हैं बुतों पर दूध या पानी की धारा।
आपकों देखा चढ़ाते सुर्ख चादर शानदार।।

बुत की पूजा हम करें, हम को मिले नारे सकर।
आप कब्रों पर झुकें क्यों कर मिले जन्नत में घर।।

आप मुश्रिक हम भी मुश्रिक मामला जब साफ है।
जन्नती तुम दोजखी हम यह कोई इंसाफ है।।

हम भी जन्नत में रहेंगे, तुम अगर हो जन्नती।
वर्ना दोजख में हमारे साथ होंगे आप भी।।

हम में तुम में फर्क क्या है पूछता शंकर दयाल।
मुतमइन हम को करो या सर पे लो अपने वबाल।।

(नवाए इस्लाम से साभार हिन्दी रूपान्तर – मास्टर मुहम्मद इलियास रूदौलवी ❑❑

मुसलमानों की नाजुक जिम्मेदारी

"इन्सान की फितरत वही है जो पहले थी। निष्ठा, प्रेम, सेवा, हमदर्दी पाकीजा किरदार और अच्छे आमाल आज भी उस की निगाह में उसी प्रकार माननीय हैं। जिस तरह पहले थे। बहुत से लोग समझते हैं कि दुनिया के बाजार और नीलाम की इस मण्डी में जहां उसूल व किरदार कौड़ियों के मोल बिकते हैं, वहां इन चीजों का अब कोई खरीदार नहीं। लेकिन हक तो यह है कि सौदा जितना कम होता है, उस का महत्व उतना ही अधिक होता है। बीमार कौमों के जीवन में ऐसे दौर कभी–कभी आते रहते हैं, जब उन के मुंह का मजा बिगड़ जाता है और यह सारे यथार्थ उन के लिये बे मआनी और बे कीमत हो जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा वतन अभी इस मंजिल पर नहीं पहुंचा है। यहां प्रेम की एक सदा और निष्ठा की एक अदा अब भी दिलों को जीतने और लोगों को अपना बनाने की ताकत रखती है। आज पूरी मानवता इस अमृत के एक–एक घूंट को तरस रही है। अगर मुसलमान आगे बढ़कर अपनी कथनी व करनी आचरण व व्यवहार से अपने उस परिपूर्ण तथा आकर्षक शान्ति का सही मजाहिरा करें जिस में तमाम इन्सानी अखलाकी खूबियां जमा हैं, और जिसने हर दौर में इन्सानों की रहनुमाई और बीमारों की मसीहाई की है तो कोई वजह नहीं है कि आज यह नुस्ख–ए–शिफा (राम बाण) हमारी जॉनेवाजी और मसीहाई से इन्कार कर दे।" मोहम्मद हसनी

(पन्द्रह रोजा तामीरे हयात 10 जून 2010, लखनऊ से साभार)

किस्त : 5

ख़वातीन इस्लाम

इस्लाम में महिलाओं का स्थान

- अनु0 हबीबुल्लाह आजमी

- मौलाना अब्दुर्रहमान नगरामी

यह महत्वपूर्ण समस्यायें जो आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से दूरदर्शियों और बुद्धिमानों के दिमागों के लिए एक समस्या बनी हुई हैं उनमें मर्द और औरत की आपसी श्रेष्टता की समस्या भी है। तर्क शास्त्र की पुस्तकों में पन्नों के पन्ने इस विषय पर रंगे गये हैं। आज यही तर्क वितर्क (मुबाहिसे) और पुराने विषयो के लेख अज्ञानी लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं। हम को इस से इंकार नहीं कि प्रकृति ने मर्दों को औरतों पर वरीयता दी है। कुर्आन मजीद में इसके बारे में बाज उपदेश भी मौजूद हैं लेकिन यह विचित्र बात है कि कुर्आनी आयतों के अर्थ को जो अजीब विस्तार प्राप्त है और उन की जो आशचर्यजनक व्याख्या की गई है, कुर्आन मजीद के सन्दर्भ और इस्लाम के नियम जानने वालों के क्रिया कलाप और सुनन कभी उस का समर्थन नहीं करते। हम को यह स्वीकार है कि कुर्आन मजीद में बताया गया है कि (अनुवाद : "मर्दों को उनपर (औरतों पर) श्रेष्टता प्राप्त है।) लेकिन यह श्रेष्टता उन मामिलात में नहीं है जिस के बारे में आज जोर शोर से दावा किया जाता है बल्कि यह उन कार्यों तथा कर्मों में है जिनका सम्बन्ध इन्सानों के शारीरिक अंगों से है। जाहिर है जिहाद के कर्तव्य की अदाएगी, रोजी कमाना यह सब चीजे खास कर मर्दों के लिए हैं औरतों को इन से कोई सम्बन्ध नहीं क्यों कि अल्लाह ताआला ने उन के शरीर की जो बनावट रखी है और उन को जो खास स्नायु (आसाब) दिये गये हैं वह इस प्रकार की काठिनाईयों और मेहनत को बर्दाश्त करने के लिए कदापि तैयार नही है। लेकिन इसका हर्गिज यह अर्थ नहीं है कि इस श्रेष्टता के हथियार से औरतों के सभी अधिकार छीन लिये जायें जो उन की उन्नति व सभ्यता के लिए आवश्यक हैं।

हम इस अवसर पर मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान मुफ्ती अबदः की बेहतरीन राय दर्ज करते हैं जो वास्तव में इस श्रेष्टता के अर्थ को अधिक स्पष्ट करती है। कुर्आन मजीद में इर्शाद (उल्लेखित) है अनुवाद : "मर्द औरतों के रक्षक हैं" इस आयत से मर्दों की श्रेष्टता पर एक जोरदार दलील पेश की जाती है लेकिन अगर जरा मूल आशय पर गौर करें तो इस आयत से इस श्रेष्टता की असलियत स्पष्ट हो जाती है। अर्बी साहित्य के अनुसार जब "क्याम" का सिला "अला से आता है तो उस समय उसका अर्थ देखभाल व सुरक्षा के होते हैं अतः मानो पहली और दूसरी आयत के मिलाने से यह अर्थ पैदा होता है कि मर्दों को औरतों पर जो श्रेष्टता प्रदान की गई है वह इसलिए है कि मर्द औरतों की रक्षा, देखभाल, भरण पोषण (किफालत) और सहायता करने के जिम्मेदार हैं। अल्लामा अबदः इस आयत की व्याख्या में फरमाते हैं : (मर्दों को जो इस आयत में औरतों का रक्षक तथा देख भाल करने वाला बताया गया है उद्देश्य यह है कि पराधीन (महकूम) आज्ञादाता (हाकिम) के अधीन रह कर अपने इरादे और इख्तियार के अनुसार अपने क्रिया कलापों को सम्पन्न करता रहे न यह कि अधीन रह कर अपने तमाम इरादों और क्रिया कलापों को हाकिम के सपुर्द कर दें और वह जिधर लगाम फेर दें बिला चूं व चरा उसी तरफ मुड़ जाये। हुकूमत का तात्पर्य यही है कि वह केवल अधीनस्य के कार्य विधि की निगरानी करे।)

इस वाक्य से स्पष्ट हो गया कि मर्दों की श्रेष्टता का आशय केवल औरतों के क्रिया कलापों की निगरानी है। उन्हें उन की शिक्षा में रुकावट अथवा मना करने का कोई अधिकार नहीं है। साधारण तौर पर यह आपत्ति की जा सकती है कि यह काम (रोजी कमाना) आदि मर्दों के लिए क्यों मखसूस (विशिष्ट) कर दिये गये हैं? इस का एक उत्तर (शारीरिक

अंगों की बनावट) ऊपर दिया जा चुका है। एक और दूसरा उत्तर जो विद्वान मिस्री ने लिखा है हम इस अवसर पर दर्ज करते हैं।

"औरतों के जिम्मे औलाद का पालन पोषण एक जरूरी फर्ज रखा गया है और इस खास फर्ज को अदा करने के लिए जो शक्ति प्रकृति ने उसको दी है वह केवल उसी के साथ मखसूस है। और औरत के बिना इस का पूरा होना असम्भव है और जो फर्ज मर्दों के लिए रखे गये हैं उन के बारे में यह मुमकिन है बहुत अच्छी तरह से तो नहीं फिर भी कुछ न कुछ औरतें भी पूरा कर सकती हैं। लेकिन कर्तव्यों में कानून और आदेशानुसार औरतों को शामिल किया जाता तो वह कर्तव्य जो औरतों के बिना पूरे नहीं किये जा सकते क्यों कर पूरे होते। इसी लिए शरीअत ने रोजी कमाने आदि मर्दों के लिए और औलाद के आचरण सुधार और उन को अच्छी आदतें सिखाना औरतों के लिए निश्चित किये हैं।"

आखिर में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि श्रेष्टता मर्द जाति को औरत जाति पर प्राप्त है। व्यक्ति इससे पृथक है क्यों कि व्यक्तिगत वरिष्टता अपने हुनर और गुणों का नतीजा होती है अन्यथा यूं तो अल्लामा इब्ने हज़म मुसलमानों में सबसे अधिक श्रेष्ट औरतों को समझते हैं क्यों कि उन के नजदीक रसूल (सल्ल0) की पवित्र बीवियों से अधिक कोई श्रेष्ट नहीं है।

प्रमुख विशिष्टताएं (फजाइले मखसूसः)

सामान्य टीका कार जब इन पारस्परिक (बाहमी) श्रेष्टता का वर्णन करते हैं तो नबूवत, खिलाफत, निर्णय आदि मर्दों के बहुत सी विशिष्टता की गणना करते हैं। खिलाफत और निर्णय आदि के बारे में तो खुद उलमा में मतभेद है। नबूवत की समस्या के अनुसन्धान के बारे में हम एक खास शीर्षक के अन्तर्गत लिखेंगे) खवातीने इस्लाम के दो एक प्रमुख विशिष्टताएं दिलचस्पी के लिए हम यहाँ दर्ज करते है कि उन्हें मालूम हो कि जिस तरह मर्दों की बहुत सी विशेषताओं को मान प्राप्त है उसी प्रकार उनका दामन भी चन्द ऐसी विशिष्टाओं से भरा हुआ है जिस का सम्बन्ध खुद रसूलुल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है।

हम अपनी मामूलात की बिना पर कह सकते हैं कि मर्दों में से कोई व्यक्ति इन श्रेष्टताओ का दावेदार नहीं बन सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जगत के लिए रहमत (दयावान) थे जिस तरह आप (सल्ल0) ने हम तक एक पवित्र व उच्चतर ईशवाणी पहुँचाई जो हमारी आध्यात्मिक (रूहानी) बीमारी और मन की कमजोरी को दूर करती है, उसी तरह अल्लाह तआला ने शारीरिक बीमारी के दूर करने के उपाय भी हुजूर (सल्ल0) के द्वारा हम को बताए। और आँ हज़रत (सल्ल0) जिस प्रकार आध्यात्मिक हकीम थे उसी प्रकार जिस्मानी हकीम भी थे। हदीस में आँ हज़रत (सल्ल0) बहुत सी बीमारियों के लिए लोगों को आयते दुआ की तालीम फरमाई है फिर यह भी स्पष्ट है कि बहुत से जरूरतमंद दरबार में आते और आप (सल्ल0) उन के लिए स्वस्थ होने की दुआ फरमाते। और कलाम मजीद की चन्द आयतें बता देते। यह सब कुछ था लेकिन क्या यह भी हुआ कि खुद हुजूर (सल्ल0) पर किसी ने कुछ पढ़कर दम किया हो। इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं मिलता है। हज़रत आयशा (रज़ि0) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत (मौत की बीमारी) के जमाने में मआजतीन (कुलअऊजुबिरब्बिल फलक और कुल अऊजुबिरब्बिनास) पढ़ कर दम करते थे लेकिन जब बीमारी बहुत बढ़ गई तो यह कार्य मैं करती थी। हदीस में इनके शब्द यह हैं (अनुवाद : मैं मआवजतीन पढ़ कर आप (सल्ल0) पर दम किया करती थी)। सरवरे कायनात (जगनायक) की मृत्यू एक औरत की गोद में हुई।

जब हज़रत आयशा (रज़ि0) पवित्र बीवियों के मुकाबले में अपनी श्रेष्टताएं बयान करती थीं तो इस की भी गणना करती थीं लेकिन क्या आज औरत जात को इस पर गर्व है। क्या कोई मर्द भी इस का दावा कर सकता है। संसार के जगनायक (सल्ल0) ने मामिलाते तिजारत में खासतौर से किसी की वकालत नहीं फरमाई लेकिन औरतों को यह सम्मान

प्राप्त है क्यों कि हुजूर (सल्ल0) ने सब से पहले हज़रत खदीजा के वकील की हैसियत से मुल्क शाम में तिजारत फरमाई। हमने प्रारम्भ में लिख दिया है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत श्रेष्टता वास्तव में श्रेष्टता के कारण नहीं बन सकते लेकिन क्या किया जाये लोगों का आम झुकाव इसी तरफ है और इस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है तथापि (ताहम) हमने चन्द पंक्तियाँ केवल औरतों की दिलचस्पी के लिए लिख दी है।

मन्दबद्धि और औरतों की हुकूमत

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कम बुद्धिमानों में गणना की है आप (सल्ल0) सत्यवादी थे। आप (सल्ल0) के आदेश व उपदेश को नकारना अपना दुर्भाग्य और कम नसीबी है। निःसन्देह वह खुदा के सच्चे पैगम्बर (दूत) थे। वह दुन्या को खुदा के खजाने की कुंजी आखिरी बार सौपने के लिए आये थे। वह केवल इसी लिए भेजे गये थे कि एकेश्वरवाद की दावत और संसार के मालिक का आखिरी पैगाम दुन्या को सुनाएं। वह जिस शरीअत (धर्मशास्त्र) को लेकर दुन्या में आए थे वह सभ्यता व नागरिकता का आखिरी कानून है। वह न्याय और इंसाफ का एक तराजू है जिसमें हर एक के कर्म बिना किसी पक्षपात के तौले जाते हैं फिर यह क्यों कर कहा जा सकता है कि आप (सल्ल0) ने औरतों को इतना तुच्छ बताया है और आप (सल्ल0) ने उन को कम अक्ल कहा है कि आज लोग उच्च स्वर में कहते हैं कि औरतों को उच्च शिक्षा न दो कि वह कम अक्ल हैं। कहीं वह धर्म परिवर्तन न कर लें। उन को खुद अपनी धार्मिक शिक्षा से न वंचित करो कहीं वह घर का कारोबार न छोड़ बैठे। आप (सल्ल0) के फर्मान का यह अर्थ नहीं है जिन दूरदर्शियों के सामने अक्ल की कमी की पूरी हदीस मौजूद है और हुजूर (सल्ल0) के फतवे और फैसले से प्रयाप्त जानकारी रखते हैं , वह इसके बारे में कभी यह गवाही नहीं दे सकते। देखो उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीकः (रज़ि0) के पास यहूदी औरतें आती हैं, बैठती हैं, बोलती चालती हैं। उन्हें हुजूर (सल्ल0) मना नहीं करते और शिक्षा और कला कौशल सीखने के लिए अन्य समुदाय की औरतों के साथ उठना बैठना हो तो मना किया जाता हैं। हाँ यह ख़ुद हमारी गलती है कि अपनी औलाद को इस प्रकार की पुख्ता मजहबी तालीम न दो कि वह जरा सी प्रेरणा (तहरीक) में अपना दीन व ईमान खो बैठें।

अस्तु (बहर हाल) हमारा तर्क तो इस समय औरतों के कम अक्ल की बहस है। पहले हम बुखारी से वह पूरी हदीस नकल करते हैं जिस में हुजूर (सल्ल0) ने औरतों को नाकिसुल अक्ल (मंदबद्धि) बताया है। फिर इसकी समीक्षा करेंगे। असल हदीस यह हैं– (अनुवाद : अर्थात मैंने तुम से अधिक मंदबुद्धि माता होने के बावजूद मर्दों को मदहोश कर देने वाला नहीं देखा। औरतों ने पूछा या रसूलुल्लाह! हमारी अक्ल और मजहब की कमी क्या है? आप (सल्ल0) ने फरमाया क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही की आधी के बराबर नहीं है? उन्होंने कहा हाँ! आप सल्ल0 ने फरमाया अक्ल की कमी है। फिर फरमाया कि अय्यामे मखसूसा (माहवारी का अवधि) में औरतों की नमाज और रोजा की मनाही नहीं है? उन्होंने निवेदन किया हाँ। आप (सल्ल0) ने फरमाया यह नुक्साने दीन है। इस हदीस के शब्द साफ और स्पष्ट हैं। हुजूर (सल्ल0) ने मंदबुद्धि के सम्बन्ध से कोई ऐसा साधारण शब्द नहीं फरमाया जिससे हर मामिले में औरतों को कम अक्ल होने को दलील के तौर पर पेश किया जा सके। अगर औरतों के बारे में तमाम मामिलात में यही हुक्म होता तो हुजूर (सल्ल0) को इन मसाएल (समस्याओं) को अलग से बयान करने की कोई जरूरत न थी। शहादत के खास मामिले में औरतों का नाकिसुल अक्ल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उनकी नजर साधारणतः घर के मामिलों में लीन रहती है। वह दिल की दयालु होती हैं। इसलिए लड़ाई, झगडे पर पूरी तरह गौर व फिक्र नहीं करती हैं। बल्कि उन का अधिक्तर समय घटनाओं से प्रभावति होने में गुजरता

है। इसलिए अगर उनकी शहादत का विश्वास किया जाये तो मामिले का फैसला अच्छी तरह न हो। शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने मुता की व्याख्या में लिखा है कि "शरीअत में दो औरतों की शहादत को इसलिए एक मर्द के बराबर करार दिया है कि औरतों की याददाश्त सामन्यतः कमजोर होती है। दो औरतों की शहादत को इसलिए मिला दिया गया है ताकि एक दूसरे को सत्य को बताने में सहायता दें और शहादत मुकम्मल हो जाये। खुद आँ हज़रत (सल्ल0) का मुबारक अमल भी इसी को बतलाता है। बहुधा उन मामिलात में जिन का सम्बन्ध खास औरतों से है, इस संख्या की शर्त नहीं करार दी है। चुनांचि अकबा बिन हारिस (रज़ि0) की घटना बुखारी में नकल की गयी है कि उन्होंने एक औरत से निकाह करना चाहा। एक दूसरी औरत ने आकर बयान किया कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। चूंकि संख्या पूरी न थी इस लिए इसे विश्वसनीय न समझ कर पता लगाने के उद्देश्य से मदीना मुनौवरा में हाजिर हुए आप (सल्ल0) ने फरमाया "कैफ व कद कील" कैसे जाइज होगा जब इस बारे में कीलो काल (तर्कविकर्त) हो चुकी। स्पष्ट है कि यदि हर मामिले में औरतें कम अक्ल होतीं तो हुजूर (सल्ल0) इस जगह यह फैसला क्यों फरमाते। इस उपदेश में हुजूर (सल्ल0) ने औरतों की वरिष्टता का एक खासतौर पर जिक्र किया है और एक विचित्र शक्ति की तरफ सकेंत किया है। चुनानचि शुरुआती फरमान के बयान का अन्दाजा खुद इस का शाहिद (गवाह) है, आप (सल्ल0) ने फरमाया है कि बावजूद कम अक्ल होने के मर्दों को मदहोश करने वाला औरतों से अधिक कोई नहीं। यह इसी कमाल की तरफ संकेत हैं जिसमें इंसान अपने मानवता के दर्जों को पूर्ण करने में औरतों का मुहताज है और यह संकेत हमारे इस बयान को प्रमाणित करता है कि औरत मानवता को पूर्ण करने वाली प्राणी है।

आँ हज़रत (सल्ल0) ने उन खास मामिलात में औरतों के कमअक्ल को स्पष्ट किया है। मौजूदा लोगों ने इन अर्थों को यहाँ तक बढा दिया। लेकिन असल यह है कि यह अरब के बयान करने की शैली के खिलाफ है। देखों! खुदा वन्द करीम जहाँ इंसानों की अस्थाई, रुपांतरित अवस्था की तस्वीर खींचता है, वहाँ यह कहा गया है कि "वह नाउम्मीद होने वाला और नाशुक्रा है। क्या इस कथन को देख कर कोई व्यक्ति ये कहे कि इन्सान को शुक्र और उम्मीद से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्यों कि खुदा ने उसे नाउम्मीद और नाशुक्रा कहा है तो उन का यह कलाम (कथन) का तकाजा है कि जब उस की नाशुक्री की तस्वीर खींची गई तो उस को नाउम्मीद होने वाला व नाशुक्रा कहा जाना जरूरी है। इसी प्रकार आँ हज़रत (सल्ल0) ने जहाँ कुछ मामिलों में औरतों को कमअक्ल बताया है वहाँ इन शब्दों का प्रयोग जरूरी था। इसका यह अर्थ हर्गिज नहीं हो सकता कि वह हर मामिले में कम अक्ल हैं। यदि ऐसा होता तो हुजूर (सल्ल0) उसे दुन्या की बेहतरीन पूंजी न फरमाते।

बाज लोग एक और तर्क पेश करते हैं कि औरतें चूंकि कमअक्ल होती हैं इसलिए शारे (इस्लामी कानून जानने वालों) ने उन को हुकूमत से वंचित रखा। इस दावे पर यह हदीस पेश की जाती है, अनुवाद : "वह कौम कभी भलाई प्राप्त नहीं कर सकती जिस ने अपना शासक किसी औरत को बनाया।" यह एक हदीस का टुकड़ा है। पूरी हदीस देखने से असलियत मालूम होती है। नसाई में यह रिवायत इन शब्दों में बयान की गई है।

"अन अबी बकरः काल : असमनीयल्लाह बेशअी समअतः मिन रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम "लमा हलक कसरीअ कालः मिन अस्तरखलफूवा?

यह हकीकत में उस महान विजय की भविष्यवाणी थी जो मुसलमानों को मुल्क ईरान में प्राप्त होने वाली थी। अन्यथा अगर केवल औरतों को हुकूमत से वंचित करना था तो नौशेरवाँ के उत्तराधिकारी (जानशीन) के बारे में आप क्यों प्रश्न करते?

(जारी.....)

❑❑

ईद मनाने का अधिकार केवल रोजेदार को है

नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी रह0 ने लिखा है कि ईद दरअस्ल रमजान की ईदी है। जैसे आप बच्चों को ईदी देते है उसी प्रकार अल्लाह ने हम सबको ईद के स्वरूप में ईदी दी है।

रमजान की आजमाइश से गुजरने के पश्चात अल्लाह जो पुरस्कार स्वरूप अपने बन्दों को भेंट देता है उसका नाम ईद है। ईद का ये पर्व खुशियों का खजाना लेकर आता है। इस महीने को अल्लाह ने अपना महीना बताया है और ईद भी उसी महीने की देन है। क्यों कि जिस प्रकार आम का पेड़ लगाने से आम ही खाने को मिलेगा बिना पेड़ के आम नहीं खा सकते। वैसे ही बिना रमजान के ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते।

ये पर्व सारी खुशियों को समेट कर अल्लाह के दरबार में जाने और सज्दा करने का दूसरा नाम है। ईद का तात्पर्य खुशी, मेलजोल और भाई चारा है। जिस दिन ईद होती है अल्लाह सारे जहाँ की खुशियों को समेट कर बन्दे की झोली में डाल देता है। साथ ही उससे आशा रखता है कि जिस परहेजगारी से उसने रोजा रखा और उनको पूरा किया तथा जो शिक्षा रमजान में मिली उसे अपने जीवन में ढ़ाले।

ईद में खुशियों को बाँटने को कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति ईद की खुशी मनाता है और अपने लिए हर प्रकार की खुशियाँ हासिल करता है तो ठीक इसी प्रकार वह व्यक्ति पास–पडोस के गरीब लाचार व्यक्तियों को खुशी मनाने हेतु हर सम्भव सहयोग करे। यदि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो उसे कपड़े दे, उसके बाल–बच्चों की खैर खबर ले। क्योंकि ईद की खुशियों में उनको भी शामिल करने को कहा गया है। ये कदापि उचित नहीं है कि लोग ईद की खुशियाँ मनाएं और उनके पड़ोसी अच्छे परिधान से वंचित तथा भूखे रहें। इसीलिए इस्लाम ने सदक–ए–फित्र को अस्तित्व प्रदान किया। ईद की नमाज से पुर्व सदक–ए–फित्र अदा करना अनिवार्य है ताकि समाज के निर्धन असहाय सभी खुशी के इस त्योहार में शरीक हो सकें। ये सदक–ए–फित्र प्रत्येक मुसलमान मर्द–औरत पर वाजिब (जरूरी) है। जबकि नाबालिग औलाद का उसके अभिभावकों पर है। ये सदक–ए–फित्र रोजे में किसी भूल–चूक का हर्जाना भी होता है जिसके द्वारा रोजेदार अपने को पाक–साफ करता है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने कहा कि रोजेदार का रोजा जमीन और आसमान के बीच उस समय तक लटका रहता है जब तक उसकी जकात अर्थात सदक–ए–फित्र अदा न की जाए क्योंकि किसी सक्षम मुसलमान की खुशी उस समय अधूरी रहती है जब तक समाज के असहाय और निर्धन लोग ईद की खुशियों में शामिल न हो।

रमजान के पूरे रोजे अल्लाह के आदेशानुसार रखने के पश्चात बन्दा जब ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि बताओ इस मजदूर की मजदूरी क्या है? जिसने अपना काम पूरा किया। फरिश्ते कहते हैं कि उसे पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जाओ, जाकर मेरे बन्दों को यह खुशखबरी सुनाओ, जिन्होंने मेरे लिए रोजे रखे, आज वह सब बख्श दिये गए। फिर वह अपने घरों को ऐसे हाल में वापस लौटेंगे जैसे वह अपनी माँ के गर्भ से अभी जन्मे हों।

शेख अब्दुल कादिर जीलानी (रह0) ने लिखा है कि ईद उनकी नहीं जिन्होंने नए कपडे पहने। ईद तो उनकी है जो अल्लाह की पकड़ से बच जाएं। **शेष पृष्ठ 6**

भारत का संक्षिप्त इतिहास

मुगल काल

— इदारा

अंग्रेजों ने शुरू में नवाब कर्नाटक की सहायता के पर्दे में मद्रास के सूबे पर कब्जा किया। बंगाल में बंगाल के नवाबों के मुआमिले में दखल देकर वहाँ भी अपने कदम जमाए। यह देख कर बंगाल के नौजवान नवाब सिराजुद्दौला ने उन के खिलाफ चढ़ाई की और उनको बेदखल कर दिया लेकिन अंग्रेज भी मौके के इन्तिजार में रहे और एक भारी फौज सिराजुद्दौला के दमन के लिए भेजी। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाबी का लालच देकर मिला लिया। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। फिर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को अपने ससुर से लड़ाकर बंगाल में भी अंग्रेजों ने मजबूती से पाँव जमा लिये।

1765 ई0 (1179 हि0) में शाह आलम ने, जो इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन ख्वार था, नियमित रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, कुछ धार्मिक शर्तों के साथ अंग्रेजों के हवाला की। उस समय से अंग्रेज इन प्राँतों के असली मालिक हो गए। बंगाल, बिहार और उडीसा के नवाब उनके मातहत पेंशन लेने लगे। और उसी समय से हिन्दुस्तान में गवर्नर जनरल का पद स्थाई रूप से बनाया गया। 1772 ई0 (1186 हि0) में सबसे पहला गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग बनाया गया। यह बड़ा होशियार आदमी था। उसने दिल्ली तक अपना प्रभाव काइम किया। 1772 ई0 (1187 हि0) में गवर्नर जनरल की सलाह के लिये चार मेम्बर की एक कौंसिल कलकत्ता में बनाई गई जिस का प्रसिद्ध मेम्बर फिलिप्स फ्राँसिस था। उसने हेस्टिंग पर रिश्वत का इल्जाम लगाया था और अमीर चन्द साहू के एजेन्ट नन्द कुमार से सबूत और गवाही भी दिलवाई लेकिन उस पर एक आदमी की तरफ से जाल साजी का मुकदमा खड़ा कर के उसको फाँसी दे दी। और खुद भी सफाई के लिए न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। फिर फिलिप फ्राँसिस ने डुवेल से लड़ाकर उस को घायल कर डाला जिसके उपचार के लिए फिलिप्स वापस गया, इधर कौंसिल का एक मेम्बर भी मारा गया। इस तरह हेस्टिग के लिए रास्ता साफ हो गया। और वह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा।

1785 ई0 (1200 हि0) में कार्नवालिस गवर्नर जनरल हुआ। उसके जमाने में लड़ाई कम और सुधार कार्य अधिक हुआ। मालगुजारी वसूल करने और अदालत के तरीके में सुधार किया गया। 1796 ई0 (1208 हि0) में सर जान शोर लन्दन से गवर्नर जनरल मुकर्रर हुआ। उसने हिन्दुस्तान में रोब दाव बिठाने के अतिरिक्त देश के प्रबन्ध में कोई काम नहीं किया।

रियासत मैसूर की फतह

हिन्दुस्तान के बिल्कुल दकिन में एक छोटी सी रियासत पर एक हिन्दू राजा हाकिम था। शुरू में यह कमजोर और एक मामूली रियासत थी राजा नाम मात्र का हाकिम था। असली ताकत उस के मंत्री दिलवाई के हाथ में थी। हैदर अली नामी उस की फौज में एक रिसालदार था जिसने धीरे–धीरे ताकत प्राप्त कर ली। मंत्री ने डरकर उस काँटे को निकाल देना चाहा। हैदर अली बड़ा होशियार आदमी था। मामले की तह को पहुँच गया। अब इन दोनों में अनबन हो गई और नौबत लड़ाई तक पहुँची। हैदर अली ने लड़ाई जीत ली। राजा और उस के मंत्री दोनों को नजरबन्द कर के पेंशन मुकर्रर कर दी और खुद सल्लतन का मालिक बन कर हुकूमत करने लगा। उसने अपने को इतना शक्तिशाली बना लिया कि पड़ोसी राज्य डरने लगे।

1765 ई0 (1149 हि0) में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मराठों के साथ मिलकर हैदर अली को तबाह कर देना चाहा लेकिन हैदर अली ने खुद मद्रास पहुँच कर अंग्रेजों को सुलह पर मजबूर कर

दिया। 1781 ई0 (1196 हि0) में अंग्रेजों ने सुलह की शर्तों के खिलाफ "माही" बन्दरगाह पर कब्जा कर लिया। इस कारण हैदर अली से फिर लड़ाई शुरू हुई जिस में हैदर अली की पराजय हुई और वह मैसूर वापस चला आया और उसी वर्ष अस्सी साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गया। उस की जगह उसका लड़का फतह अली (जो टीपू सूल्तान के नाम से मशहूर है) मैसूर का बादशाह हुआ।

टीपू बड़ा बहादुर बुद्धिमान और सिपाही आदमी था। उसने बहुत से स्थान विजय कर लिये और जब आखिर में बंगलूर फतह कर चुका तो अंग्रेजों से सुलह हो गई लेकिन 1790 ई0 (1205 हि0) में जब टीपू सुल्तान ने ट्रावंकोर के राजा की बगावत के कारण उसका दमन करना चाहा तो अंग्रेज उस की सहायता के लिए मैदान में आ गये और निजामुलमुल्क की मदद से टीपू को घेर लिया और फिर आधा राज्य लेकर उससे सुलह कर ली।

1798 ई0 (1214 हि0) में लार्ड डलहोजी गवर्नर जनरल हुआ। उस ने आते ही दिल में ठान ली कि हिन्दुस्तान की तमाम रियासतों का खात्मा करना है। चुनाँचि उसने सबसे पहले मैसूर के टीपू सुल्तान से लड़ाई छेड़ी। निजामुल मुल्क को अपने साथ मिला लिया और दोनों ने दो तरफा मैसूर की राजधानी श्रृरंगापटनम को घेर लिया। सुल्तान का खास विश्वासपात्र (मोअ़तमद) मीर सादिक अली नामी की गद्दारी से अंग्रेज किले में घुस आए। सुल्तान शेरों की तरह बहादुरी से लड़कर शहीद हुआ, मैसूर फतह हो गया। अंग्रेजों ने सुल्तान के लड़को को पेंशन देकर कलकत्ता रवाना कर दिया और राजा के लड़के कृष्णा को राजा बना दिया।

1801 ई0 (1216 हि0) में अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब को पेंशन देकर समस्त क्षेत्र को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसी प्रकार तंजोर की रियासत भी अंग्रेजों ने जब्त कर ली और उनके उत्तराधिकरियों (वारिसों) को पेंशन पर गुजारा करना पड़ा। अवध के नवाब को मजबूर किया गया कि वह दोआबा और रुहेल खंड के तमाम जिले अंग्रेजों को उस फौज के खर्च के बदले दें जो अवध के नवाब की रक्षा के लिए लखनऊ में मौजूद रहती है। 1805 ई0 (1220 हि0) में लार्ड कार्नवालिस गवर्नर होकर आया मगर कलकत्ता पहुँचते ही दो महीने में मर गया। उसके बाद सर जार्ज बारलू गवर्नर हुआ।

मुईनुद्दीन अकबर द्वितीय

1806 ई0 (1221 हि0) में शाह आलम द्वितीय का देहान्त हो गया और उसकी जगह मुईनुद्दीन अकबर द्वितीय नाम मात्र दिल्ली का बादशाह हुआ जिस को अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलती थी और केवल किले के अन्दर की हुकूमत उस को हासिल थी।

1807 ई0 (1222 हि0) में लार्ड मिन्टो गवर्नर जनरल के पद पर आया जिसके जमाने में सिखों और सिन्ध के अमीरों से सुलह हुई और दोस्ती व एकता को उन्नति देकर उसने सल्तनत को सुरक्षित और मजबूत बनाया। उसके बाद मार्कोसल ऑफ हेस्टिंग 1813 ई0 (1228 हि0) में गवर्नर जनरल हुआ। उसने नेपाल की फौजों को "बामसाह" नेपाली सरदार के द्वारा (जो अंगेजों से मिल गया था) बड़ी पराजय देकर हिमालय की तराई का कुल क्षेत्र अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। फिर 1818 ई0 (1234 हि0) में पूना का तमाम क्षेत्र पेशवा से छीन लिया और बाजीराव पेशवा को आठ लाख वजीफा देकर कानपुर में नजर बन्द कर दिया।

1822 ई0 (1239 हि0) में लार्ड एमहर्ट्स जब गवर्नर जनरल होकर आया तो उसने आसाम, अराकान और जिला तनासरम (बर्मा) फतह करके सल्तनत के क्षेत्र को बढ़ाया। 1828 ई0 (1244 हि0) में विलियम बैंटिंग गवर्नर जनरल हुआ। उसने अपने जमाने में सडको का उचित प्रबन्ध किया। ठगों की जड़ उखाड़ दी। उसी के जमाने में सती का चलन बन्द कर दिया गया और हिन्दुस्तान की सरकारी भाषा अंग्रेजी करार पाई और उस की शिक्षा के लिए अंग्रेजी स्कूल खोले गये। 1835 ई0 (1251 हि0) में सर चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल हुआ। जो पुराने और अनुभवी कर्मचारियों में से था। उस ने तमाम समाचार पत्रों को आजादी दे दी। इससे अंग्रेज नाराज हो गये। उसने मजबूर होकर

त्यागपत्र दे दिया। 1869 ई0 (1255 हि0) में लार्ड आकलैंड गवर्नर जनरल होकर आया और काबुल की लड़ाई में व्यस्त रहा जिस में अंग्रेजों की भारी हानि हुई।

सिराजुद्दीन बहादुर शाह द्वितीय

1836 ई0 (1253 हि0) में दिल्ली के वजीफा ख्वार (वजीफा पाने वाले) बादशाह अकबर द्वितीय का देहान्त हो गया तो उसका लड़का सिराजुद्दीन बहादुर शाह द्वितीय की उपाधि (लकब) से तख़्त पर बैठा। अपने बाप की तरह उसको भी अंग्रेजों की तरफ से बारह लाख सालाना वजीफा मिलता था। 1857 ई0 (1272 हि0) तक दिल्ली के लाल किले में रहा। 1842 ई0 (1258 हि0) में एलेनबरा यहाँ का सबसे बड़ा हाकिम हुआ। उसने सिखों की रोकथाम के लिए सिन्ध पर कब्जा करना चाहा। इसलिए सिन्ध के अमीरों पर यह आरोप लगाया कि काबुल की लड़ाई में सिन्ध के अमीरों ने खाद्य वस्तु (सामाने रसद) नहीं दिया। अंग्रेजों ने लड़कर किसी न किसी तरह सिन्ध पर कब्जा कर लिया।

1844 ई0 (1260 हि0) में लार्ड हार्डिंग प्रथम आया। उसके जमाने में सिखों की पहली लड़ाई होकर सुलह हो गई और उसी समय से अंग्रेज सरकारी नौकरियों में उन लोगों को तर्जीह (वरीयता) देने लगे जो अंग्रेजी जानते थे। नहरें और रेल बनाने का प्रस्ताव भी उस जमाने में हुआ।

1848 ई0 (1265 हि0) में लार्ड डलहोजी गवर्नर जनरल होकर आया। कम उम्र के होने के बावजूद भी बड़ा बुद्धिमान था। वह लार्ड वेलजली के विचार से सहमत था और सारे हिन्दुस्तान पर कब्जा जमाने पर तुल गया।

सिखों की जंग और पंजाब पर कब्जा

हिन्दुस्तान में सिवाए पंजाब के अब एक बित्ता जमीन भी ऐसी न थी जो स्वतंत्र हो और जिस पर अंग्रेज अपने अधिकार का दावा न करते हों। पंजाब में उस समय सिख शासक थे। आलमगीर के जमाने में सिखों के दसवें "गुरु" गोविन्द सिंह हुए थे जिन्होंने सिखों को संतवाद से जंगी कालिब में ढालकर बड़ा उत्पात मचाया था। बहादुर शाह फरुख सेर के जमाने में भी सिखों ने बगावत की जिस का दमन कर के पंजाब में शान्ति स्थापित कर दी गई। नादिर शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान जाते समय पंजाब को काबुल के मातहत कर दिया। उस के बाद मराठों ने जब पंजाब पर कब्जा किया तो अहमद शाह अब्दाली ने फिर पंजाब को उन के कब्जे से निकाल कर काबुल की सल्तनत में शामिल कर दिया। इस बार बार की गृहयुद्ध (खाना जंगी) से सिखों ने बड़ा लाभ उठाया। छोटे बड़े जत्थे बनाकर देश को खूब लूटा। हर जत्थे ने बड़ी–बड़ी जमींदारी काइम कर ली।

अब सिखों के विभिन्न गिरोह हो गये थे और छोटे बड़े जमींदारों की हैसियत से देश में फैल गये थे। उन्हीं में से रंजीत सिंह का बाप था। रंजीत सिंह 17080 ई0 (1294 हि0) में गुजरानवाला के स्थान पर पैदा हुआ। अट्ठारह वर्ष की उम्र थी कि अपने गिरोह का सरदार हो गया और दूसरों की तरह लूट मार से उन्नति पाने लगा। उस ने सबसे पहले अपनी ही कौम के जत्थों को पराजित कर के अपनी जमींदारी बढ़ाई। जब सिखों की बड़ी–बड़ी ताकतों को तोड़ कर अपने अधीन बना लिया और छोटे–छोटे मुसलमान नवाबों से इलाके छीन लिए तो उसने लाहौर को केन्द्र बना कर सिख हुकूमत बना डाली।

काबुल में दुर्रानी खानदान की आपसी फूट से रंजीत सिंह ने लाभ उठाकर तमाम पंजाब, कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वह कठोर परन्तु बुद्धिमान शासक था। जब तक जिन्दा रहा अंग्रेजों से सुलह रखी। जब 1839 ई0 (1255 हि0) में उसका देहान्त हुआ तो उसका नाबालिग लड़का वारिस हुआ और कुछ मुंहजोर सरदार उसके गुरू मुकर्रर हुए। उन लोगों ने अंग्रेजी क्षेत्रों पर हमला करके मुफ्त की लड़ाई मोल ले ली। आखिर पराजित होकर सुलह करनी पड़ी। फिर 1849 ई0 (1266 हि0) में डलहोजी ने पंजाब पर कब्जा करना आवश्यक समझा और एक लड़ाई के बाद रंजीत सिंह के लड़के राजा दलीप सिंह को पेंशन देकर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस के बाद बर्मा की बारी आई। चुनाँचि एक बहाने से

बर्मा (रंगून, पीगू, टांगू) पर कब्जा कर लिया गया। फिर जब नागपुर का मराठा, जिसकी कोई सन्तान नहीं थी, मर गया तो उस बहाने से उस रियासत को अपने कब्जे में ले लिया।

अवध के सूबे पर कब्जा

बारहवीं शताब्दी हिजरी के दर्मियान में दिल्ली की सल्तनत की तरफ से बुर्हानुल मुल्क के बाद उसके लड़के शुजाउद्दौला ने हुकूमत की बागडोर संभाली और शाह आलम के साथ मिलकर बक्सर के स्थान पर अंग्रेजों से लड़ा। लड़ाई में पराजित होकर अंग्रेजों से सुलह कर ली। उस के मरने पर उसका लड़का आसिफुद्दौला तख्त पर बैठा। यह बड़ा दानी था। लखनऊ में आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा उसकी बनवाई हुई मशहूर और देखने योग्य इमारत है।

उस के देहान्त पर उसका भाई नवाब सआदत अली खाँ उसकी जगह पर नवाब हुआ। उस ने रुपये से अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। उसके मर जाने पर गाजीउद्दीन हैदर नवाब हुआ और फिर उसका लड़का नासिर उद्दीन हैदर अवध का नवाब हुआ। उसने अंग्रेजों के इशारे से अपनी बादशाही का एलान किया। उसके बाद उसका लड़का अमजद अली शाह सल्तनत का मालिक हुआ। कुछ ही वर्षों के बाद उसका भी देहान्त हो गया। अब उसके लड़के मुहम्मद अली और फिर उसके लड़के वाजिद अली शाह अवध के बादशाह हुए। लार्ड डलहोजी जो अवध देश को लेना चाहता था, उसने वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया कि देश में गम्भीर दुर्व्यवस्था फैली हुई है, इस लिए 1856 ई0 (1273 हि0) में अवध के बादशाह को एक लाख माहवार पेंशन देकर कलकत्ता के मटिया बुर्ज में नजरबन्द कर दिया और अवध प्रान्त को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया।

मुगल सल्तनत का खात्मा

1856 ई0 (1273 हि0) में कैनिंग साहब गवर्नर जनरल होकर आये और प्रबन्ध में व्यस्त हुए परन्तु डलहोजी ने जिस तरह से जल्दी–जल्दी हिन्दुस्तान की रियासतों को समाप्त किया था उस से स्वभाविक तौर पर हिन्दुस्तानी लोगों के दिलों में अंग्रेजों से नफरत पैदा हो गई। उसी दर्मियान में अंग्रेजों ने नई तरह का कारतूस तैयार किया जिस को चाकू से काटने के बदले दाँतों से काटना पड़ता था। उस पर आमतौर पर मशहूर हो गया कि कारतूस में गाय और सूवर की चर्बी डाली जाती हैं इस से हर धर्म के फौजियों में क्रान्ति पैदा हो गई।

चुनाँचि 1856 ई0 (1274 हि0) में उन लोगों ने बगावत कर दी जिस में बहुत से अंग्रेज मारे गये और ऐसा मालूम होता था कि अंग्रेज राज्य अब खत्म हो जायेगा। उन बागियों ने अपनी सरदारी के लिए दिल्ली के पेंशन ख्वार बहादुरशाह को चुना लेकिन दकिन के निजाम, राजा नेपाल और सिखों की सहायता से यह बगावत दबा दी गई। मुगल शाहजादे निर्दयता से मारे गये और बहादुरशाह को बन्दी बना कर रंगून में नजरबन्द कर दिया गया और सारा मुगल खानदान तबाह हो गया। इस के बाद हिन्दुस्तान का प्रबन्ध ईस्ट इंडिया कम्पनी के स्थान पर इंग्लैण्ड के बादशाह ने अपने हाथ में ले लिया। उस जमाने में इंग्लैण्ड की मल्का विक्टोरिया थी। वह अब हिन्दुस्तान की "कैसरेहिन्द" हो गई और उस समय से गवर्नर जनरल के स्थान पर "वायसराय" आने लगे जिसका सिलसिला आजादी के पहले 1947 तक जारी रहा।

❑❑

अमजदी बेगम.....

खुदा ने अपने प्यारे बन्दे की लाज रख ली। आखिरी साँस आजाद लंदन में ही ली, और फिलिस्तीन में दफन किये गये।

अमजदी बेगम के लिए यह दुख तो जान लेवा था। हालाँकि लंदन से वापसी के बाद काफी समय तक वे खिलाफत कमेटी से जुड़ी रहीं लेकिन अन्दर ही अन्दर घुलती रहीं और लगभग पन्द्रह वर्ष बाद आखिरत के सफर पर रवाना हुई अर्थात परलोक सिधार गयीं।

आजाद हिन्दुस्तान में मौलाना मुहम्मद अली जौहर जैसे आजादी के दीवाने और शहीदे –कौम को कभी श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किये गये।

❑❑

किस्त 22

हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण तथा अर्थ

— इदारा

नोट : बिन्दी वाले अक्षरों के उच्चारण स्थान, उर्दू वालों से सीखना आवश्यक है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
दअ़वत नामः	निमंत्रण पत्र	दफअ़ीयः	निवारण	दिलबस्तगी	मनोरंजन
दअ़वते वलीमः	विवाह भोज	दफअ़ीयः	निरोध	दिलपिज़ीर	हृदयंगम
दुअ़ा	प्रार्थना	दफीना	भू निहित धन	दिलजमअी	मनोयोग
दुआ	आशिर्वाद	दिक	राज रोग	दिलजूई	सहानुभूति
दअ़वत	आवाहन	दिक्कत	कठिनाई	दिलचस्पी	अभिरुचि
दअ़्वत	निमंत्रण	दकीक	सूक्ष्म	दिलचस्प	रोचक
दअ़्वा	याचना	दकीक	गूढ़	दिलख़राश	हृदय विदारक
दअ़्वा	वाद	दकीकः	क्षण	दिलदादः	अनुरागी
दगा	विश्वासघात	दकीकः	सूक्ष्मता	दिलदोज	हृदय विदारक
दगाबाज	विश्वासघाती	दुकान	विक्रयालय	दिलरुबा	मनोहर
दग़ाबाजी	छल कपट	दुकानदार	भांडारिक	दिल शिकस्ता	भग्न हृदय
दग़दग़ा	शंका	दिगरगूँ	परिवर्तित	दिल शिकनी	हृदय भंजन
दफ़्तर	कार्यालय	दिगरगूँ	विकृत	दिलफरेब	मन मोहक
दफ्तर	चिट्ठा	दिल	हृदय	दिलकश	हृदयाकर्षक
दिफाअ़	रक्षा	दिलासा	सांत्वना	दिल लगी	परिहास
दफ़अ़	हटाना	दल्लाल	मध्यस्थ	दिल नशीं	हृदयंगम
दफअ़तन	सहसा	दलालत	प्रमाण	दिली	हार्दिक
दफअ़तन	अचानक	दिलावर	वीर	दिलेर	वीर
दफअ़ः	धारा	दिलबर	मनोहर		

पाठक जिस उर्दू शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे अर्थ सहित छापा जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

नक्सली हमले : एक नजर में

— डॉ0 मुइद अशरफ नदवी

✓ **16 मई, 2010** : राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) में नक्सली ने छह को मौत के घाट उतारा।

✓ **06 अप्रैल, 2010** : मुकराना के जंगल, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में अब तक के सबसे बड़े नक्सली हमले में सी0आर0पी0एफ0 के 76 जवानों की हत्या।

✓ **04 अप्रैल, 2010** : कोरापुट (उड़ीसा) में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग का विस्फोट कर विशेष नक्सलरोधी बल के 11 जवानों को मौत के घाट उतारा।

✓ **15 फरवरी, 2010** : सिलदा, पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में नक्सलियों ने पूर्वी सीमांत राइफल्स के शिविर पर हमला कर 24 कर्मियों की हत्या की।

✓ **08 अक्टूबर, 2009** : गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में नक्सलियों का लहेरी थाने पर घात लगाकर हमला, 17 पुलिसकर्मियों की मौत।

✓ **30 सितम्बर, 2009** : कोरची और बेलगांव, गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में नक्सलियों ने ग्राम पंचायत कार्यालयों को आग लगायी।

26 सितम्बर, 2009 : जगदलपुर (छत्तीसगढ़) के पैरागुडा गांव में नक्सलियों ने बालाघाट से भाजपा सांसद बलिराम कश्यप के पुत्र की हत्या की।

✓ **04 सितम्बर, 2009** : बीजापुर (छत्तीसगढ़) के आदेड़ गांव में नक्सलियों ने चार ग्रामीणों की हत्या की।

✓ **21 जुलाई, 2009** : बीजापुर (छत्तीसगढ़) में नक्सलियों ने विशेष पुलिस अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति की हत्या की।

✓ **27 जुलाई, 2009** : दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग का विस्फोट कर छह लोगों को मौत के घाट उतारा।

✓ **23 जुलाई, 2009** : गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में नक्सलियों ने एट्टापल्ली तालुका में एक आदिवासी की हत्या की।

✓ **18 जुलाई, 2009** : बस्तर, बीजापुर (छत्तीसगढ़) में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की और एक वाहन जलाया।

✓ **23 जून, 2009** : लक्खीसराय (बिहार) में मोटरसाइकिल पर सवार नक्सलियों ने जिला अदालत परिसर में गोलीबारी कर अपने चार साथियों को छुड़ाया।

✓ **16 जून, 2009** : पलामू (झारखंड) में नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट, 11 पुलिस अधिकारियों की मौत, घात लगाकर किये गये एक अन्य हमले में चार पुलिसकर्मियों की हत्या।

✓ **03 जून, 2009** : बोकारो (झारखंड) में नक्सलियों द्वारा दो बारूदी सुरंग विस्फोट और बम हमला, दस पुलिसकर्मियों की मौत।

✓ **10 जून, 2009** : सारंडा वन (झारखंड)में नक्सलियों का पुलिस दल पर हमला।

✓ **22 मई, 2009** : गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में नक्सलियों ने 16 पुलिसकर्मियों की हत्या की।

✓ **22 अप्रैल, 2009** : लातेहार (झारखंड) में नक्सलियों ने ट्रेन अगवा की।

✓ **13 अप्रैल, 2009** : कोरापुट (उड़ीसा) में नक्सलियों द्वारा बॉक्साइट खान पर हमला, अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों की मौत।

✓ **16 जुलाई, 2008** : मलकानगिरि (उड़ीसा) में बारूदी सुरंग विस्फोट कर पुलिस वैन उड़ाई, 21 पुलिसकर्मियों की मौत।

✓ **29 जून, 2008** : *बालीमेला* जलाशय (उड़ीसा) में नक्सलियों का नौका पर हमला, 38 पुलिसकर्मियों की मौत।

(कान्ति से साभार)

❑❑